6.3.1

कार्यालय, प्राचार्य वीरांगना अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया
जिला – मुंगेली(छग)

Veerangana Awanti Bai Lodhi Govt.College Patharia, Dist-Mungeli (CG)

Website : Phone No: 07755-289802 Email : vablgcpth@gmail.com

EFFECTIVE WELFARE MEASURES FOR TYEACHING AND NONTEACHING STAFF

2017-18

S.N.	NAME		AMOUNT	Date
1	Mr. MANI RAM GOND	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	18000=00	22/04/2017
2	Mr. MANI RAM GOND	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	40000=00	23/08/2017

2018-19

S.N.	NAME		AMOUNT	Date
1	H. P. SAHU(GRADE-II)	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	70000=00	23/04/2018
2	Mr. MANI RAM GOND	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	18000=00	04/06/2018
3	P.K. SHRMA	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	90000=00	15/10/2018
4	H. P. SAHU(GRADE-II)	PART FINAL WITHDRWAL FROM P. F. FUND	42000=00	15/10/2018

2019-20

S.N.	NAME		AMOUNT	Date
1	R.K. SONI (GRADE-II)	RETIREMENT	123480=00	02/06/2020
2	R.K. SONI (GRADE-II)	RETIREMENT	814968=00	02/06/2020

2020-21

प्राचार्य
शास.वीरांगना अंवति बाइ लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली (छ.ग)

अकास्मिक उपकाश C.L./O.L. 2020–21 C.L./O.L. (2)

क्र.सं.	नाम	पद	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
			दिनांक			विवरण		दिनांक			विवरण				
1	डॉ. आई. पी. गुप्ता	प्राचार्य													
2	डॉ. जी. एस. दुबे	सहा.प्रा.	23.1.21 प्राचार्य	4.2.21 प्राचार्य	6.3.21 प्राचार्य	20.3.21 प्राचार्य	22.3.21 प्राचार्य	26.8.21 प्राचार्य							
3	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव	सहा.प्रा.	3.3.21 प्राचार्य	4.3.21 प्राचार्य	5.3.21 प्राचार्य	6.3.21 प्राचार्य	03.04.21 प्राचार्य								
4	प्रो. पी. के. शर्मा	सहा.प्रा.	/	/	/	/	/								
5	डॉ. आर. के. जे. श्रीवास्तव	सहा.प्रा.	3.3.21 प्राचार्य	4.3.21 प्राचार्य	5.3.21 प्राचार्य	6.3.21 प्राचार्य									
6	श्री अनिल कुमार	सहा.प्रा.	24.3.21 प्राचार्य	01.06.21 प्राचार्य	02.06.21 प्राचार्य	03.06.21 प्राचार्य	04.06.21 प्राचार्य	05.06.21 प्राचार्य							
7	कु. सत्या दुबे	सहा.प्रा.	25.1.21 प्राचार्य	3.3.21 प्राचार्य	4.3.21 प्राचार्य	5.3.21 प्राचार्य	8.3.21 प्राचार्य								
8	प्रो. डी. के. पाण्डेय	सहा.प्रा.	3.02.21 प्राचार्य	11.2.21 प्राचार्य	12.2.21 प्राचार्य	15.3.21 प्राचार्य	17.3.21 प्राचार्य	18.3.21 प्राचार्य	04.06.21 प्राचार्य	29.6.21 प्राचार्य	24.8.21 प्राचार्य				

CL/EL 2020-21

S.N	नाम	पद	दिनांक 13	12	11	विवरण 10	9	दिनांक 8	7	6	5	विवरण 4	3	2	1
1	श्री डी.के. देवांगन	प्रयोगक	24.2.21 प्राचार्य	12.8.21 प्राचार्य	26.6.21 प्राचार्य										
2	कु. नेहा देवांगन	प्रयो.परि.	14.8.21 प्राचार्य	28.8.21 प्राचार्य											
3	श्री अमीत बघेल	प्रयो.परि.	30.3.21 प्राचार्य	31.3.21 प्राचार्य	01.4.21 प्राचार्य	2.6.21 प्राचार्य	3.6.21 प्राचार्य	4.6.21	5.6.21	24.8.21 प्राचार्य	25.8.21 प्राचार्य				
4	श्री मनीराम गोड़	भृत्य	20.1.21 प्राचार्य	21.1.21 प्राचार्य	30.1.21 प्राचार्य	01.3.21 प्राचार्य		02.03.21 प्राचार्य	03.03.21 प्राचार्य	04.03.21 प्राचार्य	12.3.21 प्राचार्य	13.3.21 प्राचार्य	30.6.21 प्राचार्य	01.7.21 प्राचार्य	02.7.21 प्राचार्य
5	श्री के.पी. पोर्ते	फर्राश	/	/	/	/									
6	श्री रवि शर्मा	A.G-II	26.6.21 प्राचार्य	28.6.21 प्राचार्य	6.7.21 प्राचार्य										
7	श्री धालीराम [illegible]	A.G-III	18.6.21	25.8.21 प्राचार्य	27.8.21 प्राचार्य										

डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव सहा. प्रा. समाज शास्त्र

~~[illegible]~~

1- 06-7-19 = 01 Principal.

2- 13-8-19 }
3- 14-8-19 } = 02 Principal.

4- 29-11-19 }
5- 30-11-19 } = 02 Principal.

6 07.02.2020 Principal

7) 08.02.2020 principal.

8 24.02.20
9 25.02.20
10 26.02.20
11 27.02.20
12 28.02.20

} प्राचार्य

श्री डी. के. देवांगन
प्र. शा. ताक.

आकस्मिक - अवकाश

1- 6-7-19 = 01 Principal.
2- 18-7-19
3- 19-7-19 } 03 Principal.
4- 20-7-19
05- 23-8-19 = 01 Principal.
06- 26.9.19 = 01 Principal.
07- 06-11-19 = 01 Principal.
08- 07-12-19 = 01 Principal.
9 01-01-2020 Principal
10. 5-02-2020 Principal

Ku. Neha Dewangan Lab. Asst.

आकस्मिक अवकाश

1- 05-7-18
2- 06-7-18 } = 02 Principal

3- 10-7-18 = 01 Principal

4- 25-8-18 = 01 Principal

5- 20-9-18 = 01 Principal

6 23-12-18
7- 24-12-18
8- 26-12-18
9- 27-12-18 } Principal

10- 09-2-19
11- 11-2-19
12- 12-2-19
13- 13-2-19 } Principal

Shri P.K. Sharma A.P

आकस्मिक - अवकाश

1- 21-8-18
2- 22-8-18
3- 24-8-18
4- 25-8-18
} 04 Principal

5- 25-9-18 = 01 Principal.

6- 04-1-19
7- 05-1-19
8- 07-1-19
9- 08-1-19
10- 09-1-19
} = 05 Principal.

11- 16-1-19 = 01 Principal.

12- 03-5-19 = 01 Principal.

कार्यालय–प्राचार्य

सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन–493114
E-mail : gdc.kohka@gmail.com, col-kohka.cg@gov.in, Website : http://gdckohka.ac.in/

क्रमांक /   /स्था./2018–19

कोहका, दिनांक   /01/2019

000128

-:: आदेश ::-

छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010 के 38 (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–तीन को प्रथम संतान के जन्म पर इनके आवेदन दिनांक 01/06/2017 के अनुक्रम में दिनांक 02/06/2017 से 16/06/2017 तक कुल–15 (पंद्रह) दिवसों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो पूर्व की तरह अपने पद पर कार्य करते रहते ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश अवधि में इन्हें वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो इन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे ।

(डॉ. शैलजा निगम)
प्राचार्य
स.ना.अ.शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
कोहका–नेवरा, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 606 /स्था./2018–19

कोहका, दिनांक 09/01/2019

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–तीन, स.ना.अ. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, रायपुर को सूचनार्थ।
3. व्यक्तिगत नस्ति ।

SNigam

(डॉ. शैलजा निगम)
प्राचार्य
स.ना.अ.शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
S.N.A. Govt. Arts & Commerce College
Kohka-Neora, Distt.-Raipur (C.G.)

(138)

कार्यालय–प्राचार्य

सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन–493114

E-mail : gdc.kohka@gmail.com, col-kohka.cg@gov.in, Website : http://gdckohka.ac.in/

क्रमांक / /स्था./2020–21 कोहका, दिनांक / /2021

-:: आदेश ::-

छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010 के 38 (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–तीन को प्रथम संतान के जन्म पर इनके आवेदन दिनांक 21/10/2020 के अनुक्रम में दिनांक 29/10/2020 से 12/11/2020 तक कुल–15 (पंद्रह) दिवसों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो पूर्व की तरह अपने पद पर कार्य करते रहते ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश अवधि में इन्हें वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो इन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे ।

(डॉ. शैलजा निगम)
प्राचार्य
स.ना.अ.शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
कोहका–नेवरा, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 410 /स्था./2020–21 कोहका, दिनांक 03/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–तीन, स.ना.अ. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, रायपुर को सूचनार्थ।
3. व्यक्तिगत नस्ति ।

SNigam

(डॉ. शैलजा निगम)
प्राचार्य
स.ना.अ.शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL,
Govt. Arts & Comm. College
Kohka-Neora, Raipur (C.G.)

कार्यालय–प्राचार्य
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
Website : www.vablgcpth.in Phone No: 07755 289802 Email : vablgcpth@gmail.com

क्रमांक / /स्था/2021–22 पथरिया, दिनांक ....

आदेश

छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें अवकाश नियम 2010 में निहित प्रावधानों के तहत श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–दो को इनके आवेदन दिनांक 14/08/2021 के अनुक्रम में दिनांक 03/08/2021 से 10/09/2021 तक कुल–39 (उनतालीस) दिवसों के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान कर दिनांक 11/09/2021 (द्वितीय शनिवार) एवं दिनांक 12/09/2021 (रविवार) सार्वजनिक अवकाश को उक्त अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो पूर्व की तरह अपने पद पर कार्य करते रहते ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश अवधि में इन्हें वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो इन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे ।

उपर्युक्त स्वीकृति पश्चात् श्री रवि शर्मा के अवकाश खाते में 251 दिवसों का अर्जित अवकाश शेष है ।

(डॉ.आई.पी. गुप्ता)
प्राचार्य,
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय
पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 220 /स्था/2021–22 पथरिया, दिनांक 28/09/2021

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मुंगेली को सूचनार्थ ।
2. श्री रवि शर्मा, सहायक वर्ग–दो, वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला–मुंगेली छ.ग. को सूचनार्थ।
3. व्यक्तिगत नस्ति ।

28.09.21
(डॉ.आई.पी. गुप्ता)
प्राचार्य
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय
पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाणपत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामो का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी सबधी अनुपस्थिति आदि की अवधियां, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से ......01...... वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधारियों के रूप में सत्कार, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख ......—...... से ......—...... तक दी गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है/हैं, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता/जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते ।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में वताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे ।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थानापन्न रूप से पद पर है वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह/वे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
श्री रवि शर्मा सहायक वर्ग – 2	स्थानापन्न	19500-62000 Level-4	Rs. 29400/- Level-6 Cell-06	01/07/2022	01/07/2022	Rs. 30300/- Level-6 Cell-07	—	—	—	—

टिप्पणी :— 1. जब दावा की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए ।
2. प्रमाणपत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिये । जिस किसी मामले में प्रमाणपत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए ।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उसका पदनाम

21.07.22
Dr. I.P. Gupta
(PRINCIPAL)
प्राचार्य
शास.वीरांगना अंवति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

फार्म छ.ग.को. 27
[सहायक नियम, 264 तथा 265 देखिये]

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामो का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से ......01...... वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन वृद्धियॉं अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख ......—...... से ......—...... तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियॉं नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है/हैं, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नही जाता/जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते ।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन वृद्धियॉं अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे ।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदा पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
श्री रवि शर्मा सहायक वर्ग – 2	स्थानापन्न	19500-62000 Level-4	Rs. 27000/- Level-4 Cell-12	01/07/2020	01/07/2021	Rs. 29400/- Level-6 Cell-06	—	—	—	—

टिप्पणी :— 1. जब दावा की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए ।
2. प्रमाणपत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहये । जिस किसी मामले में प्रमाणपत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये ।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उसका पदनाम

Dr. I.P. Gupta
प्राचार्य (PRINCIPAL)
शास.वीरांगना अवंती बाई लोधी
महाविद्यालय,पथरिया,जि.मुंगेली
DDO CODE-2138003

नियतकालिक वेतन–वृद्धि सम्बन्धी प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामो का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से ....01.......... वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदधारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख ....—........ से ....—........ तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है/हैं, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नही जाता/जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे ।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उन मामले में जो स्थानापन्न रूप से पद पर है वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह/वे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
श्री रवि शर्मा सहायक वर्ग – 3	स्थानापन्न	19500-62000 Level-4	Rs. 26200/- Level-4 Cell-11	01/07/2019	01/07/2020	Rs. 27000/- Level-4 Cell-12	—	—	—	—

टिप्पणी :— 1. जब दावा की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए ।

2. प्रमाणपत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहये । जिस किसी मामले में प्रमाणपत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहियें ।)

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उसका पदनाम

Shligam 03/7
(Dr. Shailja Nigam)
PRINCIPAL
J.N.A. Govt. ... Commerce College
... (C.G.)

000122

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामो का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा असाधारण छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से ...01... वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लेखित पदों पर पदधारियों के रूप में सन्तोषजनक खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख ---- से ---- तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है / हैं, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता / जाते, तो पद / पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेंगे ।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		[illegible]	
							से	तक	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
श्री रवि शर्मा सहायक वर्ग – 3	स्थानापन्न	19500-62000 Level-4	Rs. 25400/- Level-4 Cell-10	01/07/2018	01/07/2019	Rs. 26200/- Level-4 Cell-11	---	---	---	---

टिप्पणी :— 1. जब दावा की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) खाली छोड़े जाने चाहिए ।

2. प्रमाणपत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिये । जिस किसी मामले में प्रमाणपत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये ।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उसका पदनाम

[Dr. Shailja Nigam]
PRINCIPAL
S.N.A. Govt. Arts & Commerce College
Kohka-Neora, Distt.-Raipur (C.G.)

00013

फार्म ए.ग.को 27
[सहायक नियम, 264 तथा 265 दर्शित]

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामो का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से ......01...... वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधारियों के रूप में रहकर खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख ......---...... से ......---...... तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है/हैं, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नही जाता/जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन वृद्धियॉं अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे ।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले मे जो स्थानापन्न रूप से पदा पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
श्री अमित कुमार बघेल प्रयोगशाला परिचारक	स्थानापन्न	18000-56900 Level-3	Rs. 20900/- Level-3 Cell-06	01/01/2021	01/01/2022	Rs. 21500/- Level-3 Cell-07	---	---	---	---

टिप्पणी :— 1. जब दावा की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए ।

2. प्रमाणपत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहये । जिस किसी मामले में प्रमाणपत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहियें ।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उसका पदनाम

Dr. I.P. Gupta
(PRINCIPAL)
प्राचार्य
शास.वीरांगना अंवती बाई लोधी
महाविद्यालय,पथरिया,जि.मुंगेली
DDO CODE-2138003

Name of appointment and Scale of pay पद का नाम एवं वेतनमान	Whether substantive or officiating & whether permanent or officiating & whether permanent or temporary मौलिक या स्थानापन्न और स्थाई या अस्थाई	If officiating here state the appointment स्थानापन्न की दशा में मौलिक नियुक्ति का विवरण	Pay in substantive appointment स्थाई पद का मूल वेतन Rs. | P.	Additional Pay for officiating स्थानापन्न दशा में अतिरिक्त वेतन Rs. | P.	Other emoluments falling under the term pay अन्य आय जो वेतन में शामिल हो Rs. | P.	Date of appointment नियुक्ति दिनांक	Signature of Government Servant शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री व्यासीराम कौशिक, भृत्य वेतन मैट्रिक्स लेवल -3 18000 - 56900/-		मूलवेतन — 31,500/- दिनांक 01-7-19 को वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत।					
श्री व्यासीराम कौशिक - भृत्य वेतन मैट्रिक्स लेवल -3 18000 - 56900/-		मूलवेतन - 32,400/- दि. 01/7/2020 को वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किया गया					

प्राचार्य ... महाविद्यालय
रतनपुर (बिला.)

Principal
Govt. Mahamaya College,
Ratanpur, Distt. Bilaspur (C.G.)

Name of appointment and Scale of pay पद का नाम एवं वेतनमान	Whether substantive or officiating & whether permanent or officiating & whether permanent or temporary मौलिक या स्थानापन्न और स्थाई या अस्थाई	If officiating here state the appointment स्थानापन्न की दशा में मौलिक नियुक्ति का विवरण	Pay in substantive appointment स्थाई पद का मूल वेतन Rs. | P.	Additional Pay for officiating स्थानापन्न दशा में अतिरिक्त वेतन Rs. | P.	Other emoluments falling under the term pay अन्य आय जो वेतन में शामिल हो Rs. | P.	Date of appointment नियुक्ति दिनांक	Signature of Government Servant शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री घासीराम कौशिक भृत्य		वार्षिक वेतन वृद्धि 1.7.2017 मूलवेतन 29700=00					
			आगामी वेतन वृद्धि 1-7-2018				
				Principal Govt. Mahamaya College Ratanpur Distt.- Bilaspur (C.G.)			
श्री घासीराम कौशिक भृत्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 18000-56900/-		मूलवेतन — 30,600=00					
	दिनांक 01.7.18 को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत						
				प्राचार्य शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर, जि. बिलासपुर (छ.ग.)			

एक-सेवा--९

(30)

फार्म म. प्र. को. सं. २७
[सहायक नियम, २६४ तथा 265 देखिए]

नियतकालिक वेतनवृद्धि-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न गिनी जानेवाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी सम्बन्धी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (५) में दी गई तारीख से 01.7.18 वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदधारियों के रूप में रहकर, खाने (६) में दी गई तारीख से, निर्धारित नियतकालिक वेतनवृद्धियां अर्जित की है आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख .... से .... तक और तारीख .... से .... तक की छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के मामले में वेतन वृद्धि के लिए गिनी गई है/ हैं उसके/उनके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता/जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते.

२. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतनवृद्धियां अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे.

कर्मचारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	आगामी वेतनवृद्धि की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिये न गिनी जानेवाली कर्तव्य से अनुपस्थिति — से	वृद्धि के लिये न गिनी जानेवाली कर्तव्य से अनुपस्थिति — तक	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर हैं, वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य न करता रहता/करते रहते — से	अवैतनिक छुट्टी … — तक
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
श्री आशीराम कौशिक भृत्य	स्थायी	18000-56900/-	30,600/-	01.7.18	01.7.19	31,500/-	/	/	/	

टिप्पणियां : १. जब दावा की गई वेतनवृद्धि पहली ऐसी वेतनवृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतारोध पार होता हो, तब खाने (५), (६) तथा (७) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए
२. प्रमाण पत्र (१) या (२) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (१) या (२) देना चाहिये. जिस किसी मामले में प्रमाण-पत्र (२) लागू होता हो, उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये.

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर .... प्राचार्य
तथा उसका पदनाम .... शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) ....

मांप्रमुलेपा--११३-उनिक्षासि-५-८-८७-१,००,००० फार्म्स.

एक-सेवा--१

(35)

फार्म म. प. रो. सं. ६०
[महाराष्ट्र नि.म. [illegible]]

नियतकालिक वेतनवृद्धि-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] शासकीय कर्मचारियों के नामों [illegible] स्तंभ (४) में दी गई तारीख 01.7.19 [illegible] तारीख [illegible] से [illegible] तक [illegible] तारीख [illegible] से [illegible]

२. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी [illegible] नियतकालिक वेतनवृद्धियां [illegible] करेंगे.

कर्मचारी का नाम (१)	पद या स्थापना (२)	पद का वेतनमान (३)	वर्तमान वेतन (४)	[illegible] (५)	अगली वेतनवृद्धि की तारीख (६)	भावी वेतन (७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
श्री घासीराम कौशिक सन्त	स्थायी	18000-56900/ Level-3	31,500-00	01.7.2019	01.7.2020	32,400	/	/		

[illegible] ऐसी वेतनवृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतारोध पार होता हो, तब स्तंभ (४), (६) तथा (७) [illegible] स्तंभ (१) या (२) देना चाहिये. जिस किसी मामले में प्रमाण-पत्र (२) लागू होता हो, [illegible]

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर [illegible] महाविद्यालय

कार्यालय–प्राचार्य
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)
Website : www.vablgcpth.in Phone No: 07755 289002 Email : vablgcpth@gmail.com

क्रमांक / /स्था / 2021–22 पथरिया, दिनांक ....

आदेश

छत्तीसगढ सिविल सेवायें अवकाश नियम 2010 में निहित प्रावधानों के तहत श्री घासीराम कौशिक, सहायक वर्ग–तीन को इनके आवेदन दिनांक 07 / 10 / 2021 के अनुक्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अवधि	कुल दिवस
1.	14.04.2021 से 27.04.2021	14
2.	27.08.2021 से 04.09.2021	09
	कुल दिवस	23

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री घासीराम कौशिक अवकाश पर नहीं जाते तो पूर्व की तरह अपने पद पर कार्य करते रहते ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश अवधि में इन्हें वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो इन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे ।

उपर्युक्त स्वीकृति पश्चात् श्री घासीराम कौशिक के अवकाश खाते में 292 दिवसों का अर्जित अवकाश शेष है।

(डॉ.आई.पी. गुप्ता)
प्राचार्य,
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय
पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 237 / स्था / 2021–22 पथरिया, दिनांक 18/10/21

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मुंगेली को सूचनार्थ ।
2. श्री घासीराम कौशिक, सहायक वर्ग–तीन, वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला–मुंगेली छ.ग. को सूचनार्थ।
3. व्यक्तिगत नस्ति ।

18.10.21

(डॉ.आई.पी. गुप्ता)
प्राचार्य,
वी.अ.बा.लो. शासकीय महाविद्यालय
पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
पथरिया जिला –मुंगेली (छ0ग0)

क्रमांक 262/स्था0/2019 पथरिया, दिनांक 02-7-19

:: आदेश ::

श्री/कु0/श्रीमती—कु० गेंदा देवांगन.......... पद ...प्र.भृ.श्रे.पृ...शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया जिला–मुंगेली (छ0ग0) को दिनांक ..02-4-19...... से ..10-4-19 दिनांक तक कुल ....09.......... दिनों का अर्जित अवकाश /गैरपजिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है इस अवकाश के साथ .... दिनांक जोड़ने की अनुमति ही प्रदान की जाती है।

01 अवकाश से वापस आने पर उपर्युक्त कर्मचारी पद पर स्थापना उनके पूर्व पर की जाती है।

02 अवकाश अवधि का वेतन और भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

03 प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त कर्मचारी अवकाश पर नही जाते है तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

04 उपर्युक्त अवकाश उपभोग करने के उपरांत अर्जित अवकाश/ गैरपजिक अवकाश खाता में ......86.... दिनों का अवकाश शेष रहेगा।

05 दिनांक .....02-4-19...... से ....10-4-19 तक का वेतन आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
शास.वीरांगना अवंती बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ0क्र0 263/स्था0/2019 पथरिया, दिनांक ......02-7-19.

प्रतिलिपि :–

01 कोषालय अधिकारी,मुंगेली जिला–मुंगेली छ0ग0 ।
02 स्थापना शाखा वी.अ.बा.लो.शास.महाविद्यालय पथरिया।
03 व्यक्तिगत नस्ती।
04 संबंधित कर्मचारी कु० गेंदा देवांगन प्र.भृ.श्रे.पृ.।

02.07.19
(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
शास.वीरांगना अवंती बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
पथरिया जिला –मुंगेली (छ0ग0)

क्रमांक /स्था0/2019

पथरिया, दिनांक ....

:: आदेश ::

श्री/कु0/श्रीमती ...श्रद्धा देवांगन... पद ...प्र.ग्रा.पा.... शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया जिला–मुंगेली (छ0ग0) को दिनांक ...16-3-19... से 22-3-19 दिनांक तक कुल ...07... दिनों का अर्जित अवकाश /अर्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है इस अवकाश के साथ ...—... दिनांक जोडने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

01 अवकाश से वापस आने पर उपर्युक्त कर्मचारी पद पर स्थापना उनके पूर्व पर की जाती है ।

02 अवकाश अवधि का वेतन और भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

03 प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त कर्मचारी अवकाश पर नही जाते है तो अपने पद पर कार्य करते रहते ।

04 उपर्युक्त अवकाश उपभोग करने के उपरांत अर्जित अवकाश/ अर्धवेतनिक अवकाश खाता में ...25... दिनों का अवकाश शेष रहेगा।

05 दिनांक ...16-3-19... से ...22-3-19... तक का वेतन आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
वीरांगना अवंती बाई लोधी
शास.महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली(छ.ग.)

पृ0क0 261 /स्था0/2019

प्रतिलिपि :–

पथरिया, दिनांक 09-7-19..............

01 कोषालय अधिकारी,मुंगेली जिला–मुंगेली छ0ग0 ।

02 स्थापना शाखा वी.अ.बा.लो.शास.महाविद्यालय पथरिया।

03 व्यक्तिगत नस्ती।

04 संबंधित कर्मचारी श्रीमती श्रद्धा देवांगन प्र.ग्रा.पा.।

09.07.19.
(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
वीरांगना अवंती बाई लोधी
शास.महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,वीरांगना अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्याल
पथरिया जिला–मुंगेली जिला–बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक 599 / स्था0 / 2013 | पथरिया,दिनांक 26-3-19

आदेश

श्री/कु. नेहा देवांगन.....पद प्रयोगशाला परिचारक...वीरांगना अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया,जिला मुंगेली (छ0ग0) को दिनांक 16-3-19 से 22-3-19.....दिनांक तक कुल ...07.......... दिनो का अर्जित अवकाश / अर्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत कियाजाता है। इस अवकाश के साथ ...—...... दिनांक जोड़ने की अनुमति ही प्रदान की जाती है ।

01 अवकाश से वापस आने पर उपर्युक्त कर्मचारी पद पर स्थापना उनके पूर्व पर की जाती है ।

02 अवकाश अवधि का वेतन और भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

03 प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त कर्मचारी अवकाश पर नही जाते है तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

04 उपर्युक्त अवकाश का उपभेग करने के उपरांत अर्जित अवकाश / अर्धवेतनिक अवकाश खाता में ....94............ दिनों का अवकाश शेप रहेगा ।

05 दिनांक.....16-3-19 से 22-3-19. तक का वेतन आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्राचार्य
शास.वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क. 600 / स्था0 / 2013 पथरिया,दिनांक 16-3-19

प्रतिलिपिः–

01 कोषालय अधिकारी,मुंगेली जिला–मुंगेली छ0ग0।

02 स्थापना शाखा वी.अ.वा.लो.शासकीय महाविद्यालय पथरिया।

03 व्यक्तिगत नस्ती।

04 संबंधित कर्मचारी .... ।

प्राचार्य
शास.वीरांगना अंवति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

O/C

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया जिला –मुंगेली (छ0ग0)

क्रमांक /स्था0/2019

पथरिया, दिनांक ....

:: आदेश ::

श्री/कु0/श्रीमती कु. नैना देवांगन .... पद प्र.आ.पा. .... शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया जिला–मुंगेली (छ0ग0) को दिनांक 22-7-19 .... से 6-8-19 दिनांक तक कुल 16 .... दिनों का अर्जित अवकाश /मैषजिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है इस अवकाश के साथ — .... दिनांक जोडने की अनुमति ही प्रदान की जाती है।

01 अवकाश से वापस आने पर उपर्युक्त कर्मचारी पद पर स्थापना उनके पूर्व पर की जाती है ।

02 अवकाश अवधि का वेतन और भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

03 प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त कर्मचारी अवकाश पर नही जाते है तो अपने पद पर कार्य करते रहते ।

04 उपर्युक्त अवकाश उपभोग करने के उपरांत अर्जित ~~अवकाश~~/ ~~मैषजिक~~ अवकाश खाता में 20 .... दिनों का अवकाश शेष रहेगा।

05 दिनांक 22-7-19 .... से 06-8-19 ..... तक का वेतन आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

— sd —

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)

प्राचार्य

वीरांगना अवंती बाई लोधी

महाविद्यालय पथरिया

जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृ0क्र0 1405 /स्था0/2019

पथरिया, दिनांक 08/08/2019 ....

प्रतिलिपि :–

01 कोषालय अधिकारी,मुंगेली जिला–मुंगेली छ0ग0 ।

02 स्थापना शाखा वी.अ.बा.लो.शास.महाविद्यालय पथरिया।

03 व्यक्तिगत नस्ती।

04 संबंधित कर्मचारी कु. नैना देवांगन प्र.आ.पा. .... ।

08.08.19.

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)

प्राचार्य

वीरांगना अवंती बाई लोधी

शास. महाविद्यालय पथरिया

जिला–मुंगेली (छ.ग.)

21 वेतन-वृद्धि

1. वेतन वृद्धियों का निकालना :-

सामान्यत: वेतन-वृद्धि स्वाभाविक रुप से निकाली जानी चाहिए जब तक कि वह रोकी न गई हो। [वि.वि.क्र. जी-22/6/94/सी-चार दिनांक 29-8-96 एवं संशोधित मू.नि. 24]

2. वेतन वृद्धि हेतु सेवा अवधि :-

(1) समयमान पद पर किया गया संपूर्ण कर्तव्यकाल,

(2) कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य मौलिक या स्थानापन्न पद पर की गई सेवा,

(3) भारत के बाहर की प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा,

(4) सभी प्रकार की अवकाश अवधि (चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वैज्ञानिक तकनीकी अध्ययन या शासकीय कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से लिए गए असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार से लिये गये असाधारण अवकाश को छोड़कर),

(5) संवर्ग में धारित स्थाई पद से किसी अन्य पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त होने की दशा में, परिवीक्षा अवधि,

(6) स्थानापन्न दशा में प्रशिक्षण पर जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि परंतु प्रशिक्षण काल में स्थानापन्न वेतन दिया होना चाहिए,

(7) एक पद पर स्थानापन्न रुप से कार्य करते हुए अन्य पद पर स्थानापन्न नियुक्ति होने पर तो पहले पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर दूसरे पद पर की गई सेवा अवधि,

(8) संवर्ग के बाहर के पद से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर संवर्ग से बाहर के पद पर की गई सेवा की अवधि,

(9) बाह्य सेवा,

(10) पदग्रहण काल [मू.नि. 26]

3. वेतन वृद्धि हेतु संगणित न की जाने वाली अवधि :-

(1) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना लिया गया असाधारण अवकाश। [मू.नि. 26]

(2) स्वीकृत अवकाश से अधिक ठहरने की अवधि जिसे अकार्य दिवस माना गया हो। [मू.नि. 26]

(3) नियमित न की गई पदग्रहणकाल से अधिक ठहरने की अवधि जिसे अकार्य दिवस माना गया हो।

(4) कर्तव्य पर न मानी जाने वाली निलम्बन काल की अवधि। [मू.नि. 54]

(5) मू.नि. 15 में संदर्भित कम वेतन पाने वाले पद पर स्थानांतरण होने पर पद ग्रहण काल की अवधि।

4. असाधारण अवकाश पर वेतन वृद्धि की गणना पद्धति :-

एक शासकीय कर्मचारी को निम्नलिखित अवधियों के असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य मामले में लिया गया) जो वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जाता -

29-7-99 से 31-7-99	3 दिन
15-7-99 से 20-7-99	6 दिन
7-10-99 से 15-10-99	9 दिन
18-12-99 से 21-12-99	4 दिन
26-1-2000 से 28-1-2000	3 दिन
16-3-2000 से 19-3-2000	4 दिन
	योग 29 दिन
पिछली वेतन वृद्धि की तिथि	23-4-1999
अगली वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि (यदि असाधारण अवकाश न लिया होता)	23-4-2000
असाधारण अवकाश का योग	= 29 दिन

अगली वेतन वृद्धि की तिथि 23-4-99 + 29 दिन

अर्थात् 22-5-2000

5. वेतनमान में समय से पहिले वेतन-वृद्धि :-

राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम 27 में संशोधन किया जा कर समय से पूर्व वेतन-वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को है।

[वि.वि.क्र. जी-30/1/95/सी/चार दिनांक 30-12-95]

6. वेतन-वृद्धि की तिथि माह की पहली तारीख :-

शासकीय कर्मचारियों को उनके पद के वेतनमान में प्राप्त होने वाली वार्षिक वेतन-वृद्धि सामान्य नियमों तथा तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत जिस महीने की किसी तारीख को वस्तुत: देय हो, उसी महीने की पहली तारीख से स्वीकार की जाती है। असाधारण अवकाश तथा पदोन्नति के कारण जिन प्रकरणों में वेतन-वृद्धि का दिन परिवर्तित हो उन प्रकरणों में भी सामान्य नियमों तथा तत्संबंधी आदेशों के अनुसार अगली वेतन-वृद्धि प्राप्त होने पर जिस महीने में वह वेतन-वृद्धि देय हो उसी महीने की पहली तारीख से ही उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाती है।

[वि.वि.क्र. डी/10-10/नि-1/चार/74 दिनांक 10-9-74]

यदि किसी शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति उसी माह होती है जिस माह में निम्न पद की वेतन-वृद्धि भी है तो पहिले शासकीय कर्मचारी को निम्न पद पर वेतन-वृद्धि दी जायेगी तथा उसके बाद उच्च पद पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

यदि कोई कर्मचारी वास्तविक वेतन-वृद्धि के माह की पहली तारीख से वेतन-वृद्धि के दिनांक तक अवकाश पर है तो वेतन-वृद्धि का लाभ अवकाश से लौटने पर ही प्राप्त होगा।

[वि.वि.क्र. 1180/1776/79/नि-1/चार दिनांक 14-9-79]

7. स्नातकोत्तर तथा अन्य उपाधियों हेतु अग्रिम वेतन-वृद्धियां :-

(1) शासकीय सेवा में कार्यरत इंजीनियरों अथवा डॉक्टरों को स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हताएं तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों के अन्वेषणात्मक उपाधियों (Ph.D., D.Sc., D.Litt.) होने पर उन्हें दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां देने का प्रावधान है।

(2) किसी पद पर नियुक्ति के लिये यदि ये अर्हताएं न्यूनतम रूप से आवश्यक मानी जाती हो तब ये वेतन-वृद्धियां देय नहीं होगी।

(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टरों को एक अग्रिम वेतन-वृद्धि की पात्रता है।

(4) पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों को भी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन-वृद्धियों की पात्रता है।

(5) यदि संबंधित शासकीय सेवक अपने वेतनमान के अधिकतम पर है तो उसे उपरोक्त वेतन-वृद्धि/वेतन-वृद्धियां अंतिम वेतन-वृद्धि की दर के बराबर दी जावेगी परन्तु यह व्यक्तिगत वेतन माना जावेगा।

(6) नियुक्ति तिथि को स्नातकोत्तर डिग्रीधारी होने की दशा में उक्त वेतन-वृद्धियां नियुक्ति तिथि से अथवा नियुक्ति पश्चात् जब कभी डिग्री प्राप्त करे उक्त वेतन-वृद्धियां परीक्षा फल घोषणा तिथि से देय हैं।

टीप - किसी कार्मिक द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के फलस्वरुप बार-बार (दो/एक क्रमशः) अग्रिम वेतन-वृद्धियां स्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अग्रिम वेतन-वृद्धियां स्वीकृत किया जाना मात्र प्रोत्साहन स्वरुप है।

[सा.प्र.वि. क्र. सी.-2-2/92/3/1 दिनांक 18-11-1992]

8. न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरुप वेतन-वृद्धि :-

न्यायालयीन प्रकरणों में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रभारी अधिकारियों जिनकी सतर्कता एवं पहल के कारण शासन को लाभ हुआ हो, को एक विशेष वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जाय तथा उन्हें एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाय। इस वेतन वृद्धि का लाभ उनके प्रचलित वेतनमान में ही उपलब्ध होगा, पदोन्नति के फलस्वरुप प्रदत्त नये वेतन मान में नहीं। इस संबंध में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा पात्रता का विनिश्चिय किया जावेगा। समिति में निम्न सदस्य होगे :-

(1) अपर मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव सा.प्र.वि. - सदस्य

(3) प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव वित्त विभाग - सदस्य

(5) संबंधित विभाग/जिस विभाग के प्रकरणों पर विचार किया जाना है के प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य सचिव

समिति के अनुशंसा पर ही संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी। वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। [सा.प्र.वि. क्र. सी.-3-6/98/3/1 दिनांक 27-3-98]

9. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धियाँ :-

इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 18-9-2002.

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरुप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि ''यदि जीवित एक बच्चे के पश्चात् जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, जो दो बच्चों की अधिकतम सीमा पार कर जाती है तो ऐसी स्थिति में भी नसबंदी कराने पर पैरा-1 के क्रमांक (2) की व्यवस्थानुसार एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।''

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 65/8/वि/नि/चार/03, दिनांक 27-1-2003 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है।

[सा.प्र.वि. क्र. एफ-6-1/2002/1-3, दिनांक 30-12-2003/30-1-2003]

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम प्रसव में ही जुड़वा बच्चे जन्म लेते है, तो एक बच्चे की अधिकतम सीमा पार हो जाती है ऐसी स्थिति में नसबन्दी कराने पर प्रथम प्रसव होने के कारण उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की पैरा-1 के क्रमांक (1) की व्यवस्थानुसार शासकीय सेवक को दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।

2. इस संबंध में वित्त विभाग यू.ओ. क्रमांक 370/2005/रूल/चार दिनांक 15-7-2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

[सा.प्र.वि. क्र. एफ 6-1/2002/1-3, दिनांक 28-7-2005]

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतनवृद्धि :-

राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत

में किराया का मकान लेता हो तो भी उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। अर्थात् कर्मचारी अब दोनों में से किसी एक स्थान पर मकान किराये पर ले सकता है।

[गृह (पुलिस) विभाग क्रमांक 2ए/68/77/2ब (4) दिनांक 5 जुलाई 1983]

मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पात्रता अनुसार घोषणा पत्र भरना पड़ता है जिसका प्रारुप निम्नानुसार संलग्न है (किराये के मकान में रहने वाले के लिए घोषणा पत्र (अ) स्वयं के मकान में रहने वाले के लिए घोषणा पत्र (ब) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार घोषणा पत्र (स) भी भरा जाना आवश्यक है।

2. नगर क्षतिपूर्ति भत्ता - (अ) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक 60/65/2001/नि/चार/दिनांक 13-2-2001/रायपुर द्वारा रायपुर शहर को बी श्रेणी में रखते हुए यहाँ पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1 नवम्बर 2000 से रु. 75/- प्रतिमाह की दर से नगर क्षतिपूर्ति भत्ता की पात्रता होगी। पात्रता संबंधी अन्य प्रावधान म. प्र. शासन द्वारा पूर्व में जारी प्रावधान अनुसार यथावत रहेगा।

(ब) राज्य शासन द्वारा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भिलाई, दुर्ग में पदस्थ कर्मचारियों को भी प्रतिमाह रु. 25/- दिये जाने का मध्यप्रदेश शासन के आदेश को विलोपित नहीं किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ शासन के कार्यरत कर्मचारियों को दुर्ग भिलाई में पदस्थ होने पर रु. 25/- प्रतिमाह बी-2 श्रेणी के शहर होने के एवज में देय होगा।

(स) राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर एवं कोरबा की आबादी ढ़ाई लाख से अधिक होने के कारण उक्त शहर में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रुपये 50/- प्रतिमाह की दर से नगर क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करता है। यह दर दिनांक 1-6-2008 से प्रभावशील होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 113/1476/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 27-5-2008]

3. परियोजना भत्ता - यह परियोजना भत्ता राज्य शासन द्वारा निर्देशित नियमानुसार ही छत्तीसगढ़ में परियोजना भत्ता स्वीकृत है। जिसकी दरें निम्नानुसार है जो वेतन पुनरीक्षित वेतनमान 1987 के आधार पर देय है :-

1. रु. 1,055 से कम वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 40/-
2. रु. 1,056 से रु. 1720 तक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 75/-
3. रु. 1721 से रु. 2300 तक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 125/-
4. रु. 2301 से अधिक वेतन वालों को प्रतिमाह रु. 150/-

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परिधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

4. वाहन भत्ता - ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें अपने मुख्यालय पर या इससे कुछ दूर नियमित यात्रा करनी पड़ती है जिसके बदले में उन्हें दैनिक भत्ते की प्रात्रता नहीं होती उन्हें

14. शीघ्रलेखकों को द्विभाषी भत्ता - राज्य शासन के ऐसे सभी द्विभाषी शीघ्रलेखकों को भत्ता देय होगा जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शीघ्रलेखन में आर्हता रखते हो तथा द्विभाषी शीघ्रलेखक के रूप में कार्य करते हो। तभी उन्हें रु. 375/- प्रतिमाह द्विभाषी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-1/वे आर प्र/95 दिनांक 18/27-7-1995 के अनुसार 1-4-95 से देय होगा।

15. स्टेनो टायपिस्ट एवं दफ्तरियों को देय विशेष वेतन में वृद्धि - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्टेनो टायपिस्ट के लिए स्वीकृत विशेष वेतन रु. 125/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु. 250/- प्रतिमाह एवं दफ्तरियों को देय विशेष वेतन रु. 50/- को बढ़ाकर रु. 100/- प्रतिमाह किया जाए।

यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2013 से प्रभावशील होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 220/एफ 2013-01-00051/वि/नि/चार, दिनांक 27-6-2013]

16. महंगाई भत्ता - छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय-समय पर वेतन पर महंगाई भत्ता घोषित किया जाता है। वर्तमान में वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है :-

देय तिथि	पे बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1-1-2006 से 31-12-2006	शून्य	
1-1-2007	2%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-7-2007	6%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2008	9%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2008	12%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-1-2009	16%	74/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 24-3-2009
1-10-2009	22%	317/301/वि/नि/चार, दिनांक 13-10-2009
1-4-2010	27%	96/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 20-4-2010
1-10-2010	35%	318/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 6-10-2010
1-4-2011	45%	95/293/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 30-3-2011

25 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

[1]**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** अधिसूचना **क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013**—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752** के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

(ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

(घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,

(ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ—

(क) ''**प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक**'' नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

---

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रभावी।

(ख) **''आयुष''** आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;

(ग) **''परिवार''** से अभिप्रेत है:—

(एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;

(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हैं;

(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;

(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णत: आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणत: वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो :

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णत: आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

(पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(घ) **''चिकित्सालय''** —

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(ङ) **''चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय''** से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

(च) **''चिकित्सा अधिकारी''** से अभिप्रेत है यथास्थिति, सिविल सर्जन, चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी या आयुष सहायक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालयों के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (कैजुअल्टी मेडिकल ऑफीसर) और इसमें चिकित्सा

महाविद्यालय चिकित्सालय के अध्यापक संवर्ग के ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हैं, जो ऐसे महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करते हों;

(छ) ''विशेषीकृत **उपचार** (विशेषीकृत **चिकित्सा**)'' से अभिप्रेत है अनुसूची-एक, जिसमें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा, में उल्लिखित रोगों का उपचार (चिकित्सा) और/या शल्य चिकित्सा (सर्जरी);

(ज) ''**उपचार (चिकित्सा)**'' से अभिप्रेत है चिकित्सालय, जहां कर्मचारी का उपचार किया जा रहा हो, में उपलब्ध तथा प्रयुक्त समस्त चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा, सुविधायें और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(एक) रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टीरियोलॉजिकल), एक्स-रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग या ऐसे किसी अन्य निदान का उपयोग जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/परिचारक द्वारा आवश्यक समझा जाये;

(दो) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीन), सिरम तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति, जो सामान्यत: चिकित्सालय में उपलब्ध हों;

(तीन) ऐसा उपचार (चिकित्सा) जो सामान्यत: चिकित्सालय द्वारा अन्त: रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है;

(चार) रुधिराधान (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन);

(पाँच) परानील-लोहित प्रकाश (अल्ट्रा-वॉयलेट लाईट);

(छ:) सामान्य उपचर्या (जनरल नर्सिंग);

(सात) डॉयलिसिस एवं हीमोडॉयलिसिस;

(आठ) लिथोट्रिप्सी;

(नौ) महिलाओं के मामलों में—

(क) प्रसूति के दौरान उपचार, प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार;

(ख) डूश देना (डूशिंग);

(दस) पंचकर्म एवं क्षार सूत्र उपचार;

(ग्यारह) ऐसी अन्य सुविधाएँ जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें।

3. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा उपचार—कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा उपचार/सेवा के लिये हकदार होगा।

4. मानसिक रोगी का उपचार—मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये नि:शुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

5. उपचार एवं प्रतिपूर्ति—(1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार, निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास-मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमतः, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊंटरसाईन) अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

6. प्रतिपूर्ति की सीमा—शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगा:—

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये—अधीक्षक/ उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
3.	5,001/- से 25,000/- तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
4.	25,001/- से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंतः रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक-एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) ऑक्सीजन देने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(5) रुधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;

(6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल है, उपचार करवाने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला संपूर्ण व्यय;

(8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहाँ वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में संपूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;

(9) शल्य चिकित्सा तथा रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टेरियोलॉजिकल), एक्स-रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग तथा अन्य जाँच/परीक्षण, जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक समझा गया हो और तद्नुसार प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, पर उपगत संपूर्ण व्यय;

(10) शासकीय सेवकों द्वारा एम्बुलेंस अथवा किसी अन्य वाहन के उपयोग के संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी;

(11) आवश्यक उपकरण जैसे कैलिपर, कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पट्टियाँ, गर्दन की कॉलर, श्रवण उपकरण आदि का व्यय पहली बार शासन द्वारा वहन किया जायेगा;

(12) पंचकर्म तथा क्षार सूत्र उपचार पर उपगत संपूर्ण व्यय।

7. उपचार की दर—निजी चिकित्सालय में अंत: रोगी के रूप में कराये गये निदान एवं उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति, केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली द्वारा बी-1 श्रेणी के शहर हेतु समय-समय पर निर्धारित दरों अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक की जायेगी। जहाँ सुविधाओं की दरें केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा निर्धारित नहीं की गई हों, तो ऐसी दशा में राज्य शासन, दरें निर्धारित कर सकेगा।

8. चिकित्सा अग्रिम—(1) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु, इन नियमों के नियम 8 एवं नियम 9(3) के प्रावधानों के अंतर्गत, यथास्थिति, जिला सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए, कर्मचारी द्वारा संबंधित चिकित्सालय से प्राप्त व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) चिकित्सा अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जायेगा, जहाँ रोगी का उपचार, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंत:-रोगी के रुप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो तथा प्रकरण में रिफरल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रुपये 30,000/- अथवा इससे अधिक और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में रुपये 15,000/- अथवा इससे अधिक के अनुमानित चिकित्सा व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।

(4) स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जायेगा।

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा, अन्यथा कर्मचारी के वेतन से देयक (बकाये) की वसूली का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(6) चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा कर्मचारी के आय के अन्य स्रोत से वसूल की जायेगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण, वास्तविक आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में कराई गई चिकित्सा (उपचार) पर लागू नहीं होगी।

9. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु रिफरल—(1) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के रोगों की जाँच/उपचार सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय/आयुष औषधालय, जिला आयुष चिकित्सालय में कराना होगा।

(2) उक्त केन्द्रों में वांछित सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में रिफर कर सकेंगे।

(3) चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जाँच उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे।

(4) स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ तथा पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) नीति के अंतर्गत संचालित संस्थाएं शासकीय सेवकों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी, उक्त संस्थाओं में उपचार हेतु रिफरल की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालय भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय समझे जायेंगे।

(6) केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएँ ही फालो-अप उपचार हेतु मान्य होंगी, इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार, सक्षम स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी।

(7) आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा, उपचार प्रारंभ करने से 48 घण्टें की समय-सीमा के भीतर यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक आयुष तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

10. कार्योत्तर स्वीकृति—(1) आकस्मिक परिस्थितियों में, राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के प्रकरण में, कार्योत्तर स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी। कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में, ऐसे प्रकरणों में उपचार में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण, कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षण करने के उपरांत, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को भेजे जायेंगे, जिनका निराकरण गुण/दोष के आधार पर करते हुए, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरण, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष की अनुशंसा से राज्य शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निराकरण के लिये भेजे जायेंगे।

(4) संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष, कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकेंगे।

(5) राज्य शासन स्तर पर कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी :—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	— अध्यक्ष
2.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	— सदस्य
3.	संचालक, आयुष	— सदस्य
4.	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ	— सदस्य
5.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि (जो उप सचिव की श्रेणी से निम्न का अधिकारी न हो)	— सदस्य
6.	दो, विषय विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	— सदस्य

11. जाँच (परीक्षण)/उपचार हेतु निजी संस्थाओं को मान्यता—(1) राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थायें, कर्मचारियों के रोगों की जाँच/उपचार के लिये अपनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कराने हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित शुल्क के साथ विहित प्ररूप में, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को आवेदन कर सकेंगे।

(2) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन (आवेदनों) की सम्यक् जाँच (छानबीन) के पश्चात्, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा गठित एक समिति द्वारा उनका निरीक्षण किया जायेगा।

(3) राज्य शासन, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर, राज्य के भीतर/राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उच्च कोटि के उपचार की सुविधा की उपलब्धता पर विचार करते हुए विशिष्ट रोग (रोगों) के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सकेगा। ऐसी समिति की अनुशंसा उपरान्त राज्य शासन ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा—(1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, प्ररूप-एक में, व्यय किये जाने की तारीख के छः माह की अवधि के भीतर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु जहाँ कर्मचारी स्वयं ही नियंत्रण प्राधिकारी हो, वहाँ छः माह की कालावधि की गणना कोषाधिकारी को मांग प्रस्तुत किये जाने की तारीख के संदर्भ में की जायेगी।

(2) इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप-दो में आवश्यक

प्रमाण-पत्र तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किये गये नगद पत्रक (कैश मेमो) रसीदें, जो उपचार और कमरे के किराये के व्यय के भुगतानों से संबंधित हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे :

परन्तु जहाँ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियाँ, मेडिकल स्टोर्स डिपो की दर सूची से बाहर की हों, वहाँ ऐसे मामलों में, जहाँ वह स्वयं प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक न हो, आवश्यक प्रमाण-पत्र पर यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार कराये जाने पर, उसमें चिकित्सालय के नियंत्रक अधिकारी, संयुक्त संचालक-सह अधीक्षक/उप संचालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

13. उपचार का अभिलेख—प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में डायरी तथा ज्ञापन (मेमों) में, उसके द्वारा किये गये उपचार या जाँच की तारीख और स्थान के ब्यौरे रखेगा, जो उसके द्वारा प्ररूप-दो में दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर होगा।

14. दावों का निपटारा—(1) इन नियमों के अधीन, कर्मचारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की माँग का निराकरण, संबंधित आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा किया जायेगा।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, जो संबंधित कर्मचारी के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है, के द्वारा ऐसे देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। नियंत्रण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह चिकित्सा व्यय से संबंधित माँगों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व, उसका इस प्रकार सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लें कि माँग वास्तविक है और नियमों के अनुसार है और दावा किये गये व्ययों के समर्थन में आवश्यक नगदी पत्रक (कैश मेमो), रसीदें, प्रमाण-पत्र आदि संलग्न किये गये हैं। नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे दावों को अस्वीकृत कर सकेगा, जो नियमों के अनुसार न हो।

(3) उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में देय राशि का आहरण, प्ररूप-सी.जी.टी.सी. 24-ए पर किया जायेगा तथा आवेदक/दावाकर्ता को भुगतान योग्य होगा।

(4) चिकित्सा सेवा तथा उपचार से संबंधित व्यय, संबंधित प्रधान शीर्ष के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 01 ''वेतन तथा भत्ते आदि'' के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 015 ''चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में'' विकलनीय होगा, किन्तु कार्यभारित स्थापना के सदस्यों के मामले में, वह व्यय सीधे संबंधित कार्य के हिसाब से विकलनीय होगा।

15. कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के उपचार की सीमा—(1) ये नियम कर्मचारी के परिवार के सदस्यों पर उसी रीति/प्रक्रिया से और उसी सीमा तक लागू होंगे, जिस रीति/प्रक्रिया से और विहित सीमा तक वे कर्मचारी पर लागू होते हैं :

परन्तु जहाँ किसी कर्मचारी के तीन या अधिक जीवित बच्चे हों, वहाँ तीसरा बच्चा तथा अतिरिक्त बच्चा इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु ऐसे तीसरे बच्चे के 26 जनवरी, 2001 के पूर्व पैदा होने पर, वह भी इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय

चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा :

परन्तु यह और कि दूसरी प्रसूति की दशा में जुड़वा बच्चे पैदा होने पर, दोनों बच्चे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(2) कर्मचारी, प्रसूति के दौरान उपचार, (जिसमें प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार भी शामिल हैं), के लिए उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भी हकदार होगा :

परन्तु यदि ऐसे प्रसव की तारीख पर तीन या अधिक बच्चे जीवित हों, तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

16. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई पृच्छा/प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. शिथिलीकरण—सामान्यतः इन नियमों का शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा, किन्तु आपवादिक प्रकरणों में राज्य शासन को नियमों को शिथिल करने का अधिकार होगा।

18. नियमों में संशोधन करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर नियमों को संशोधित/उपांतरित कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

19. निरसन तथा व्यावृत्ति—इन नियमों के प्रभावशील होने पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 निरसित माने जाएँगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी कार्य या की गई कार्यवाही पर इस नियमा का कोई प्रभाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अधीन जारी स्पष्टीकरण/निर्देश/दिशा-निर्देश, इन नियमों में उसी सीमा तक लागू रहेंगे कि वे इन नियमों से असंगत न हों या वे इन नियमों के प्रतिकूल न हों :

परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पूर्व संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त मांगें, संबंधित कर्मचारियों पर लागू होने वाले पूर्व के नियमों द्वारा शासित होंगी।

अनुसूची-एक

(नियम 3(ञ) देखिए)

1. सभी प्रकार की कैंसर व्याधियाँ,
2. सभी प्रकार के हृदय रोगों (ओपन हार्ट सर्जरी/बाईपास सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी विथ स्टेंट, एन्जियोप्लास्टी विदाऊट स्टेंट, इत्यादि),
3. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,
4. जटिल ऑप्थेलमिक सर्जरी,
5. न्यूरो-सर्जरी,
6. ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी,
7. ऐसे उपचार तथा/या सर्जरी, जो राज्य के शासकीय या मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, तथा जिसके लिये रोगी को राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में भेजा (रिफर किया) जाता है।

प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों की मान्यता बाबत् :-

राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है :—

राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालय

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1.	बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बैरन बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Peadiatrics Treatment.
2.	श्री नारायणा हास्पीटल, देवेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Plastic & Cosmetic Reconstruction Surgery, (5) Peadiatrics, (6) Obst. & Gynec, (7) Ophthalmology, (8) Cardiology & (9) Urology.
3.	श्री मां शारदा आरोग्यधाम, डी.डी. नगर, रायपुरा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-Obst. & Gynec.
4.	रायपुर स्टोन क्लीनिक, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-Lithotripsy.
5.	फरिश्ता नर्सिंग होम, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Obst. & Gynecology, (2) Medicine
6.	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, होलीक्रास कापा स्कूल के सामने, अवंती बाई चौक, पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Medical Oncology & (3) Orthopedics. (As per Sanjeevani)
7.	रायपुर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality.
8.	किम्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology with Dialysis, (4) Burn & Plastic Surgery, (5) CTVS, (6) Obst. & Gynec, (7) Spinal Surgery, (8) Cardiology, (9) Onco Surgery & (10) Chemotherapy.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
9.	श्री बालाजी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल प्रा.लि., सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Gen. Surgery, (4) Gen. Medicine, (5) Gastroentrology, (6) Obst. & Gynec, & (7) Gen. Ophthalmology.
10.	धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पीटल, रायपुर रोड, धमतरी, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality.
11.	चन्दुलाल चन्द्राकर स्मृति हॉस्पीटल, नेहरूनगर चौक, जी.ई.रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Total Surgery, (2) Total Hip Joint Replacement, (3) Knee Joint Replacement, (4) Head Injury Requiring Operative Intervention, (5) Comatose Condition, (6) Spinal Surgery, (7) Post Puerperial Complications, (8) Injuries Caused by Industrial Accident, Handling Agriculture Machines, Bomb Blast and Natural Calamities.
12.	श्री मेडिशाईन हॉस्पीटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, & (4) Obst. & Gynec.
13.	श्री बालाजी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Cardiology, (5) Obst. & Gynecology, & (6) CTVS.
14.	ओम नेत्र केन्द्र, पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Opthalmic Treatment.
15.	यशवंत हॉस्पीटल, तात्यापारा चौक, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Orthopedical Procedures.
16.	नारायणा हृद्यालय एम.एम.आई. लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Urology, (2) Neuro Surgery, (3) Cardiology, (4) CTVS, & (5) Nephrology.
17.	विद्या हॉस्पीटल एण्ड किडनी सेंटर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Nephrology & (2) Nephro Surgery.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
18.	श्री अरबिन्दो नेत्रालय, पचपेड़ी नाका, लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Opthalmic Treatment.
19.	आशादीप हॉस्पीटल, न्यू राजेन्द्र नगर, विजेता काम्पलेक्स के पास, पानी टंकी के सामने, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Orthopedic Procedure.
20.	वी.वाय. हॉस्पीटल, कमल विहार, सेक्टर-12, न्यू धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedics, (2) Surgery, (3) Neuro Surgery, (4) Urology, (5) Medicine, (6) Ophthalmology & (7) Radiology.
21.	भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर, फाफाडीह चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - Radiological Investigation.
22.	लाइफवर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, मेन रोड, समता कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Multispeciality Facilities.
23.	अपोलो हॉस्पीटल, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Urology, (5) Onco Surgery, (6) Plastic Surgery, (7) Obst. & Gynecology, (8) Medical Oncology, (9) CTVS & (10) Cancer Treatment.
24.	मार्क हॉस्पीटल, ब्रिलियंट स्कूल केम्पस, मिशन हॉस्पीटल रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Urology, (2) Surgical Speciality & (3) Nephrology.
25.	मुंदड़ा हॉस्पीटल, मंगला चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	For General Orthopedic Treatment.
26.	श्री बालाजी ट्रामा एण्ड सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, जिला अस्पताल परिसर, कोसाबाड़ी, कोरबा, छत्तीसगढ़।	For Superspeciality Treatment.
27.	श्री रेटिना केयर सुपरस्पेशियलिटी आई हॉस्पीटल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल के ऊपर, मेन रोड, शंकर नगर चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - Ophthalmic Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
28.	आर.एस. पॉलीक्लीनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, टाटीबंध, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Maternity & Obst & Gynecology.
29.	ओम हॉस्पीटल, एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedics/Treatment of Trauma, (2) Gen. Surgery, (3) Maxillofacial Surgery, (4) Burn & Plastic Surgery, (5) Medicine, (6) Paediatrics, (7) Obst. & Gynecology & (8) Neurology.
30.	श्री कृष्णा हॉस्पीटल, मेन रोड, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Nephrology, (3) Obst. & Gynecology, (4) Gen. Medicine, (5) Orthopedic/Trauma & (6) Dental & Maxillofacial Surgery.
31.	केयर एन क्योर सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पीटल, पुराना प्रताप टॉकिज के पास, प्रताप चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Obst. & Gynecologial & (2) Surgical Procedures & Emergencies.
32.	श्रीराम केयर हॉस्पीटल, अमेर रोड, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Cardiology, (3) Orthopedic & Trauma, (4) Obst. & Gynecology, (5) Gen. Medicine, (6) Gen. & Laproscopic Surgery, (7) ENT, (8) Paediatric, (9) Paediatric Surgery, (10) ICU, (11) Radiology & (12) Maxillofacial Surgery & Dental.
33.	न्यू कोरबा हॉस्पीटल, मंगलम विहार, कोसाबाड़ी, कोरबा, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic & (5) Paediatric.
34.	व्ही केयर सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, जीटीबी प्लाजा, एयरटेल ऑफीस के बाजू, रिंगरोड-1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Oncology, (3) Onco-surgery, (4) Plastic & Cosmetic Surgery, (5) Urology, (6) Trauma & Emergency & (7) Knee & Joint Replacement.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
35.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, ग्राम-गोढ़ी, भानसोज, मंदिरहसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic, (5) Paediatric, (6) Radiology, (7) Neuro Surgery, (8) Skin & VD, (9) Ophthalmology & (10) Pathology.
36.	जैन डेंटल हॉस्पीटल, आरडीए काम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Dental Treatment.
37.	एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, शांति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Paediatric Treatment.
38.	राजधानी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, एस.एस. टावर, पचपेड़ी नाका के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Orthopedic.
39.	माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एण्ड इंवेस्टीगेशन सेंटर, अनुपम नगर, टी.वी. टावर के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Obst. & Gynecology Treatment.
40.	अग्रसेन हॉस्पीटल, कृष्णा टॉकिज के सामने, रामनाथ भीमसेन भवन रोड, समता कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- For Gen. Orthopedic Surgery.
41.	संजीवनी सी.बी.सी.सी. यू.एस.ए. कैंसर हॉस्पीटल, जैन मंदिर के सामने, दावड़ा कालोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality - For Cancer Treatment Only.
42.	जे.एल.एन. हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-9, भिलाई।	Central Govt. Institute.
43.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर।	Central Govt. Institute.
44.	डॉ. के. गुरूनाथ हॉस्पीटल, प्लाट नं. 9, प्रियदर्शनी परिसर, जी.ई. रोड, सुपेला, भिलाई - 490023	केवल ह्रदय रोग संबंधी उपचार हेतु (Only Cardiovascular Treatment)

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
45.	स्पाईन एण्ड स्कीन क्लीनिक, एच-21, टी.व्ही. टावर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	केवल General Orthopedic उपचार हेतु
46.	aaRBee Institute of Medical Sciences, Swarnajayanti Nagar, Ring Road-2, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. General Surgery, 2. General Medicine, 3. Obst. & Gyneacology, 4. General Orthopedic, 5. Paediatrics and 6. E.N.T. उपचार हेतु
47.	अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, मदीना बिल्डिंग, जेल रोड, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	केवल डायग्नोसिस उपचार हेतु
48.	Shri Shankaracharya Institute of Medical Sciences, Junwani, Bhilai (Durg), Chhattisgarh-490020	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic, 4. Obst. & Gyneacology, 5. Ophthalmology, 6. Paediatrics and 7. E.N.T. उपचार हेतु
49.	Gupta Hospital, Multispeciality Research & Maternity Centre, Ratna Bandha Road, Dhamtari (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic एवं 4. Obst. & Gynecology उपचार हेतु
50.	Ganga Diagnostic & Medical Research, Centre (P) Ltd., Amrapali Society Gate, Oppt. NHMMI Hospital, Lalpur, Raipur (C.G.)	केवल 1. Radiology, 2. Pathological, 3. Biochemistry Investigations जाँच हेतु
51.	Sarwa Trauma Hospital, G.E. Road, Tatyapara, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. Orthopedic and, 4. Pathology उपचार हेतु
52.	डॉ. जाउलकर ईएनटी हॉस्पिटल, कंकाली तालाब के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality-ENT.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
53.	कालडा कॉस्मेटिक सर्जरी एण्ड बर्न सेंटर, राजकुमार कालेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Plastic Surgery, (2) Orthopedic, (3) Neuro Surgery, (4) Poly Tauma, & (5) Acute Burn.
54.	श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, पहाड़ मंदिर के पास, कौहाकुन्दा, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Medicine, (5) Gen. Laproscopy Surgery, (6) Obst. & Gynec, (7) Anaesthesia, (8) Ophthalmology, (9) Pulmonology, (10) Pathology, (11) Paediatric, (12) Skin & VD, (13) ENT & (14) Dental.
55.	रामकृष्ण केयर हॉस्पीटल, पचपेडी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, (3) Nephrology, (4) Cardiology, (5) Onco Surgery, (6) Urology Procedures & (7) CTVS.
56.	सुयश हॉस्पीटल, कोटा गुढ़ियारी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Orthopedic, (2) Neuro-Surgery, & (3) Urology.
57.	विवेकानंद आई हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बूढ़ा तालाब गार्डन के पास, ब्रम्हपुरी मार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- OCT Investigation.
58.	ए.एस.जी.आई. हॉस्पीटल, प्रा.लि., शक्तिनगर, मेनरोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Opthalmic Treatment.
59.	स्पर्श मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, श्रीराम मार्केट, सिरसा रोड, रामनगर, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Neurology & Neyro Surgery, (2) Cardiology, (3) Orthopedic & Joint Replacement, (4) Nephrology, (5) Urology & Uro Surgery, (6) Burn Plastic Surgery & Trauma Management. (As per Sanjivani Yojna)
60.	श्री शिशुभवन, ईदगाह रोड, मध्यनगरी चौक के पास, (प्रेस क्लब बिल्डिंग के सामने), बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Paediatric Medicine, (2) Paediatric Burn & Plastic Surgery, (3) Paediatric Neurology, (4) Paediatric Ortho-pedic, (5) Paediatric

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
		Surgery, (6) Paediatric ENT & Bronch-oscopy, (7) Paediatric Dermetology (As per Sanjivani Yojna).
61.	एम.जी.एम.आई. हॉस्पीटल, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality- Ophthalmic Treatment.
62.	उपाध्याय हॉस्पीटल, हर्षित टावर के पास, अर्जुन विहार, महोबा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Orthopedics, (2) Obst. & Gynecology & (3) Gen. Medicine.
63.	सर्वोदय हॉस्पीटल एण्ड प्रसूति केन्द्र, दुबे कालोनी, पुलिस थाना के पास, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery & (2) Obst. & Gynecology.
64.	कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, कलर मॉल के पास, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Burn & Plastic Surgery, (2) Nephrology, (3) Urology, (4) Neuro Surgery, (5) Gen. Surgery, (6) Obst. & Gynecology, (7) Gen. Medicine & (8) Gen. Orthopedic.
65.	अपेक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल एण्ड आईव्हीएफ सेंटर, आर.के. मल्टीप्लेक्स के बाजू, अटलचौक, चांटामुडा बाईपास रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Gen. Orthopedic.
66.	अग्रवाल हॉस्पीटल, आर.के.सी. काम्पलेक्स के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Obst. & Gynecology & (3) Gen. Orthopedic.
67.	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पीटल, कलर्स मॉल के सामने, न्यू धमतरी रोड, पचपेड़ी नाका, लालपूर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	Single Speciality :- Ophthalmology Treatment.
68.	विशारद हॉस्पीटल, सुभाष स्टेडियम के सामने, मोतीबाग चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।	For Orthopedic Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
69.	बी.एम. शाह हॉस्पीटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्रीनगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology, (4) Orthopedic, (5) Paediatric, (6) Radiology & (7) Neurosurgery.
70.	महादेव सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पीटल, महिमा काम्पलेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Gen. Surgery, (2) Gen. Medicine, (3) Obst. & Gynecology & (4) Gen. Orthopedic, (5) Neuro Surgery & (6) Paeditric.
71.	आरोग्य हॉस्पीटल, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।	(1) Surgery, (2) Obst. & Gynec, (3) Medicine, (4) Urology, (5) Neuro Surgery, (6) Plastic Surgery, (7) Oncology, (8) Anaesthesia, (9) Dental, (10) Radiology, (11) Physiotherapy, (12) Pathology, (13) Cardiology, (14) Nephrology, (15) Ophthalmology, (16) Gastro-enterology & (17) Orthopedic.
72.	फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, खरसियां रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़।	(1) Neuro Surgery, (2) Orthopedic Procedures, (3) Cardiology & (4) CTVS.
73.	Vinayak Netralaya, Near Agrasen Chowk, Link Road, Bilaspur (C.G.)	केवल सामान्य नेत्ररोग (General Optha-lmology Treatment) उपचार हेतु
74.	City Hospital & Research Centre, 1, Jalashaya Marg, Choubey Colony, Raipur (C.G.)	केवल General Medicine, Obst. & Gynecology उपचार हेतु
75.	Shri Sankalp Hospital, Near Sarona Railway Station, Before Salasar Green, Sarona Ring Road No. 1, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. General Surgery, 3. General Orthopedic, 4. Neuro Surgery, 5. Neurology, 6. Paediatrics, 7. Cardiothorasis Surgery, 8. Cardiology, 9. Urology, 10. Emergency & Trauma उपचार हेतु

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
76.	Star Children Hospital, Agrasen Chowk, Besides Hotel East Park, Bilaspur (C.G.)	केवल शिशुरोग उपचार की सुविधा हेतु
77.	Soni Multispeciality Hospital & Maternity Home, Bade Urla, Raipur Road, Abhanpur, Raipur (C.G.)	केवल प्रसूति एवं स्त्रीरोग उपचार सुविधा हेतु
78.	Makhija Hospital, Near Agrasen Chowk, Telephone Exchange Road, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. Paediatric Surgery, 2. Obstetric & Gynaecology उपचार हेतु
79.	Balco Medical Centre, Sector-36, Naya Raipur, PO-Uparwara, Raipur (C.G.)	All Types of Cancer Treatment सभी प्रकार के कैंसर रोग के उपचार हेतु
80.	Naman Hospital, (Dentofacial Trauma & Oral Cancer Care), Plot No.-24, Next to Fruit n Fruit Shop Turning Point Chowk, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)	केवल 1. Oral and Maxillofacial Surgery (Minor Oral Surgical Procedures under local Anaesthesia only) Not requiring post surgical admission for recovery, 2. Orthodontics and dentofacial Orthopaedics, 3. Prosthodontics and crown and bridge उपचार हेतु
81.	Petals Newborn & Children Hospital, Bhimsen Bhawan Marg, Samta Colony, Raipur (C.G.)	General Peadiatric Treatment सामान्य शिशु रोग उपचार हेतु
82.	Kanwar Nursing Home, T.V. Tower Road, Anupam Nagar, Raipur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology उपचार हेतु
83.	Ashirwad Laser Phaco Eye Hospital, IG Office Road, Behind Apex Bank, Nehru Chowk, Bilaspur (C.G.)	केवल Ophthalmic Treatment (नेत्ररोग संबंधी) उपचार हेतु

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
84.	Chandadevi Tiwari Hospital, Opposite City Kotwali, Bhatapara Road, Balodabazar (C.G.)	केवल 1. General Surgery, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. General Medicine उपचार हेतु
85.	Sanjivani Hospital & Research Centre, Ware House Road, Bilaspur (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. Orthopedics & 4. Plastic Surgery उपचार हेतु
86.	Sunshine Multispeciality Hospital, Vasundhara Nagar, Bhilai-03, Charoda, Durg (C.G.)	केवल 1. General Medicine, 2. Obstetric & Gynaecology, 3. General Surgery and 4. Peadiatric उपचार हेतु
87.	SRS Hospital In front of Shri Ganesh Vinayak Hospital, Near Muskan Residency, Pachpedi Naka, Raipur (C.G.)	केवल General Orthopedics उपचार हेतु

राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालय

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
1.	सर गंगाराम हॉस्पीटल मार्ग, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060.	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
2.	स्पंदन हार्ट इंस्टीट्युट एण्ड रिसर्च सेंटर, 31, ऑफ चितले मार्ग, हितवाड़ा प्रेस के पीछे, धनतोली, नागपुर–440012.	For Heart Care Treatment.
3.	प्लेटिना हार्ट हॉस्पीटल, धनश्री कमर्शियल काम्पलेक्स, होटल हरदेव के पास, सीताबुल्दी, नागपुर–440012	For Heart Care Treatment.

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
4.	शेल्बी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, प्लॉट नं.-बी, स्कीम नं.-5, अहिंसा चौक, कचनार रोड, विजय नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।	(1) Orthopedic & Joint Replacement Surgery, (2) Cardiology, (3) CTVS and Paediatric Cardiac Surgery. As per NABH Facilities only.
5.	मेदांता द मेडिसीटी, सेक्टर-38, गुड़गांव, हरियाणा।	For Superspeciality Treatment. As per NABH Facilities only.
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	Central Govt. Institute.
7.	जी.बी. पंत हॉस्पीटल, नई दिल्ली।	Govt. Institute.
8.	बी.एच.यू. हॉस्पीटल, वाराणसी।	Govt. Institute.
9.	के.ई.एम. हॉस्पीटल, मुम्बई।	Govt. Institute.
10.	बाम्बे हॉस्पीटल, मुम्बई।	—
11.	जसलोक हॉस्पीटल, मुम्बई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
12.	बी.वाय.एल. नायर हॉस्पीटल, मुम्बई।	Govt. Institute.
13.	टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुम्बई।	Govt. Sponsored Institute.
14.	नानावटी हॉस्पीटल, मुम्बई।	—
15.	श्री चित्रा तिरूणाल इंस्टीट्यूट, चेन्नई।	Govt. Institute.
16.	सी.एम.सी. वेल्लोर।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
17.	निजाम इंस्टीट्यूट, हैदराबाद।	Govt. Institute.
18.	पंडालिया कार्डियो-थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई।	—

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
19.	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
20.	अपोलो हॉस्पीटल, चेन्नई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
21.	पी.जी.आई. लखनऊ।	Govt. Institute.
22.	सदर्न रेल्वे हॉस्पीटल, पेरामपुर।	Central Govt. Institute.
23.	एल.एन.जे.पी. हॉस्पीटल, नई दिल्ली।	Govt. Institute.
24.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
25.	बत्रा हॉस्पीटल, नई दिल्ली।	
26.	अपोलो हॉस्पीटल, हैदराबाद।	
27.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पीटल, दिल्ली।	—
28.	लीलावती हॉस्पीटल, मुम्बई।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
29.	मेट्रो हॉस्पीटल, नोएडा, दिल्ली।	
30.	मेडविन हॉस्पीटल, हैदराबाद।	—
31.	चोईथराम हॉस्पीटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
32.	यशोदा हॉस्पीटल, हैदराबाद।	

क्र.	संस्था का नाम	उपचार सुविधा (Speciality)
33.	फोर्टिस एण्ड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पीटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पीटल की समस्त शाखायें)	केवल National Accreditation Board Hospital & Healthcare Providers (NABH) द्वारा प्रदान की गई सुविधा अनुसार
34.	मैक्स देवकी हार्ट एण्ड वास्कुकलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पीटल (दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पीटल की समस्त शाखायें)	
35.	प्राईमस (सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पीटल), चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।	
36.	मैक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, 1-प्रेस इन्क्लेव रोड, साकेत, प्रतापगंज, इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली।	
37.	Meditrina Institute of Medical Science, 278, Central Bazar Road, Ramdaspeth, Nagpur-440010	
38.	Apollo Hospitals, Health City, Arolova, Chinagadhili, Vishakhapatnam (A.P.)	केवल 1. Cardiology, 2. Cardio-thoracic-surgery, 3. Orthopedic & Joint Replacement, 4. Emergency & Critical Service, 5. Trauma Care, 6. General Medicine, 7. Laproscopic Surgery, 8. Urology, 9. Nephrology, 10. Neuro Surgery, 11. Plastic & Cosmetic Surgery, 12. Medical & Surgical Gastroenterology and 13. Organ Transplant उपचार हेतु

2. राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घंटे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3. राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच/उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, संयुक्त-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घन्टे की समय-सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4. उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

5. उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।

[चिकित्सा शिक्षा विभाग क्र. एफ 16-01/2019/नौ/55-4, दिनांक 30-05-2019]

छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के बाहर अवस्थित अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् :-

यतः अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, चाहे वे संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत हो या राज्य के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकारों और नियत पात्रताओं को शासित करते हैं और उनमें एकरूपता का उपबंध करते हैं :

यतः राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि उक्त नियमों के नियम 12 (क) के उपबंधों के परिणामस्वरूप संघ के कार्यों के लिए सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकार और नियत पात्रताएं, प्रभाव में वे हैं जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त हैं (सिवाय उन स्थानों में जो योजना के अंतर्गत न हो):

यतः अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का उनकी सेवा की प्रकृति के कारण, देश में कहीं भी सेवा करनी होती है, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती की नीति के कारण उनमें से अधिकांश उस राज्य के बाहर से लिये जाते हैं जिसके संवर्ग पर वे धारित है :

यतः उक्त तथ्यों व उनकी सेवा के अन्य विशिष्टता के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और या उनके परिवार के सदस्यों (जिसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं) को, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करते हुए भी राज्य के बाहर अवस्थित अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारकों में सम्मिलित हैं उपचार और चिकित्सा परिचर्या में निरन्तरता, संवर्ग वापसी पर परिवार के किन्हीं सदस्यों के द्वारा

बाहर बने रहना (जिसके लिए शैक्षिक और चिकित्सकीय आधारों पर सरकारी आवास के केंद्र सरकार के विद्यमान नियमों में उपबंध हैं), अधिवार्षिकी के संदर्भ में उनके गृह राज्य में पुन: बसना ओर बैठकों, सम्मेलनों, अनिवार्य और ऐच्छिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं, बच्चों की देखरेख और मातृत्व अवकाश की अवधियां, अध्ययन अवकाश, निर्वाचन ड्यूटी, गृहनगर यात्राओं आदि के लिए राज्य के बाहर रहना :

यत: छत्तीसगढ़ राज्य में न तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और न ही कोई तुलनीय योजना संचालित है और ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं के मामले में संघ और छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा में विषमता है :

यत: राज्य सरकार पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के उपबंधों के आधारभूत सिद्धांत से सहमत हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य को स्थानान्तर के फलस्वरूप, ऐसे चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों के साथ सेवा नहीं करनी होगी, जो उनसे निम्नतर है जिनके लिए वह अन्यथा पात्र हो और वह यह दृष्टिकोण रखती है कि राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करने में सेवा शर्तों में ऐसी विषमता वांछनीय नहीं है :

अत: अब छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों (उनके परिवार के सदस्यों सहित) के लिए पूर्वोक्त नियमों के अंतर्गत उनकी चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं में गिरावट लाए बिना, सेवा शर्तों में पूर्वोक्त विषमता को कम करने के दृष्टिकोण से, राज्य शासन एतद् द्वारा व्यवस्थाएं स्थापित करता है :—

(1) छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए देश के किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में नियमित आधार पर नियोजित समस्त चिकित्सकों को **प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक** (Authorized Medical Attendent) नियुक्त किया जाता है।

(2) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत प्रावधानित "**मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी**" (Chief Administrative Medical Officer) के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु एलोपैथिक पद्धति से उपचार के मामले में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य पद्धतियों से उपचार के मामलों में संचालक आयुष को एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपचार के मामले में छत्तीसगढ़ आवासीय आयुक्त की पदस्थापना के अंतर्गत पदस्थ चिकित्सक को अधिकृत किया जाता है। परन्तु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जाएगा।

(3) "अस्पताल" पद के अभिप्राय और वहाँ प्राप्त उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी उपबंध को एतद द्वारा निम्नानुसार स्पष्ट और परिवर्धित किया जाता है :—

अस्पताल से अभिप्रेत है कोई भी अस्पताल (जिस पद में उपचार उपलब्ध कराने वाला किसी भी नाम से निर्दिष्ट कोई भी संस्थान या केंद्र सम्मिलित होगा) जो :—

(क) छत्तीसगढ़ सरकार, या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, या भारत सरकार द्वारा स्थापित हो, या

(ख) छत्तीसगढ़ सरकार या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो या

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 3) की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय, या उक्त अधिनियम के धारा 3 के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय माने गए किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित या उसकी घटक इकाई हो, या

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो, या

(ङ) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का क्रमांक 10) की धारा 3 में यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो, या

(च) अन्य कोई अस्पताल जिसके साथ अपने अधिकारियों के उपचार के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की हो, या

(छ) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा संस्थान।

(ज) अन्य कोई भी ऐसा अस्पताल जहाँ प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक के द्वारा परिचर्या अथवा उपचार हेतु संदर्भित (refer) किया जाए।

(4) अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा (परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत अधिकारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को परिचर्या तथा उपचार पर उपगत सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता है परन्तु यदि उपचार किसी ऐसे अस्पताल में कराया जाता है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ शासन ने C.G.H.S. की दरों पर उपचार हेतु अनुबंध किया हो तो ऐसे प्रकरण में C.G.H.S. की दरों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयक के साथ सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (A.M.A.) द्वारा जारी किया गया आकस्मिकता प्रमाण पत्र (Essentiality

Certificate) तथा चिकित्सकीय सलाह व व्हाउचर एवं कैश मेमो मूलत: संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

यदि किसी अधिकारी के परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य किसी राज्य में निवासरत है तब उन्हें उपचार हेतु संदर्भित करने के पूर्व प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (AMA) को मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि ऐसे सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) द्वारा देयकों के सत्यापन उपरांत ही की जाएगी। परन्तु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जायेगा।

(6) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के क्रियान्वयन के संबंध में उक्त अधिसूचना दिनांक 04-04-2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

[सा.प्र.वि. क्र. ई 10-01/2014/एक/2, दिनांक 26-06-2014]

नोट : कृपया विस्तृत जानकारी के लिए इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, रायपुर द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 लेखक डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता का अवलोकन करें।

31 समूह बीमा योजना

1. उद्देश्य - यह योजना शासकीय कर्मचारियों को कम लागत पर तथा अंशदायी और स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर परिवारों की सहायता के लिए बीमा सुरक्षा तथा सेवा-निवृत्ति पर उनके परिवारों की सहायता के लिए एक मुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करने के लिए आशयित है।

2. प्रयुक्ति - यह योजना मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों (अपवादों के साथ) पर लागू होती है। **(अब छत्तीसगढ़ राज्य में)**

3. बीमा निधि तथा बचत निधि - इस योजना के अंतर्गत दो निधियाँ हैं :- अभिदान का एक भाग बीमा निधि में तथा शेष भाग बचत निधि में जमा किया जाता है।

4. प्रभावशीलता - समूह बीमा एवं परिवार कल्याण निधि योजना दिनांक 1-7-85 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए लागू की। इसके पूर्व परिवार कल्याण निधि योजना, 1974, दिनांक 1-11-74 से प्रभावशील थी। जिन्होने समूह बीमा योजना का चयन नहीं किया है, उनके विकल्प देने की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाई गई है। उक्त विकल्प के आधार पर जुलाई 2003 से विकल्प की तिथि तक बकाया अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष-8011 बीमा और पेंशन निधियाँ - 105 - राज्य सरकार बीमा निधि में तत्काल जमा कर मूल चालान की प्रति कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही विकल्प मान्य होगा। [वि.वि.क्र. 49/322/वि/नि/चार/2003, दिनांक 15-1-2004]

5. सदस्यता - (1) समूह बीमा योजना सन् 1985 से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यत: लागू की गई है। जिन्होने इस योजना के अधिसूचना के बाद शासन की सेवा में आये हैं या अधिसूचना के जारी होने के बाद शासकीय सेवा में आये समस्त कर्मचारी योजना के अगले वर्ष-दिवस को अनिवार्यत: इसके सदस्य बनेंगे।

(2) योजना के सदस्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमांक 2 में नामांकित तारीख को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती से सूचना दी जाएगी। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाएगी। जो चार प्रतियों में बनाई जाएगी। एक प्रति शासकीय सेवक को एक प्रति संचालक, जीवन बीमा विभाग, ग्वालियर को एवं एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकायी जाएगी। [योजना का नियम 4(4)]

(3) योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा में प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से बीमा सुरक्षा प्रीमियम (अंशदान की राशि का 30%) काटा जाना शुरु कर दिया जाएगा, जिससे मृत्यु की दशा में समुचित बीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

[योजना का नियम 6]

6. योजना में अंशदान - दिनांक 1-7-85 से -

(i) चतुर्थ वर्ग रु. 30/- प्र.मा.
(ii) तृतीय वर्ग रु. 50/- प्र.मा.
(iii) द्वितीय वर्ग रु. 60/- प्र.मा.
(iv) प्रथम वर्ग रु. 80/- प्र.मा.

7. अंशदान की दर में वृद्धि - दिनांक 1-7-90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा रक्षण की दर में 50% की वृद्धि की गई है। इस बढ़ी हुई दर का विकल्प दिया जाना अनिवार्य था। विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि 31-5-90 तक थी। यदि किसी ने विकल्प नहीं दिया है तो वृद्धि दर उसे अनिवार्य रूप से लागू होगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुन: अंशदान की दर में 50% की वृद्धि कर क्रमश: रु. 60/-, रु. 100/-, रु. 120/- एवं रु. 160/- मासिक अंशदान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस योजना के अधीन एक कर्मचारी कितनी इकाईयों में अंशदान करेगा, कितनी राशि बीमा एवं बचत निधि में जमा होगी तथा देय बीमा राशि कितनी होगी, के लिये निम्न तालिका देखें -

(1) दिनांक 1-7-85 से रु. 10/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र. (1)	श्रेणी (2)	समूह (3)	इकाई (4)	अभिदान प्रतिमाह (5)	बीमा सुरक्षा निधि (6)	देय बीमा राशि (7)	देय बचत निधि (8)
1.	प्रथम	अ	8	80/-	31.25%	80,000/-	68.75%
2.	द्वितीय	आ	6	60/-	”	60,000/-	”
3.	तृतीय	इ	5	50/-	”	50,000/-	”
4.	चतुर्थ	ई	3	30/-	”	30,000/-	”

(2) दिनांक 1-7-90 से रु. 15/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र. (1)	श्रेणी (2)	समूह (3)	इकाई (4)	अभिदान प्रतिमाह (5)	बीमा सुरक्षा निधि (6)	देय बीमा राशि (7)	देय बचत निधि (8)
1.	प्रथम	अ	8	120/-	30%	1,20,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	90/-	”	90,000/-	”
3.	तृतीय	इ	5	75/-	”	75,000/-	”
4.	चतुर्थ	ई	3	45/-	”	45,000/-	”

(3) दिनांक 1-1-96 से रु. 20/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र. (1)	श्रेणी (2)	समूह (3)	इकाई (4)	अभिदान प्रतिमाह (5)	बीमा सुरक्षा निधि (6)	देय बीमा राशि (7)	देय बचत निधि (8)
1.	प्रथम	अ	8	160/-	30%	1,60,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	120/-	,,	1,20,000/-	,,
3.	तृतीय	इ	5	100/-	,,	1,00,000/-	,,
4.	चतुर्थ	ई	3	60/-	,,	60,000/-	,,
5.	दिनांक 1-7-2003 से लागू दर छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी बीमा योजना, 2003 में वर्णित है।						

विषयांतर्गत योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जुलाई, 2003 से लागू है। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरांत शासन ने उक्त दरों में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रूपये 60 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है :—

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह		बीमा राशि	
		1-7-2003 से 30-6-2016 तक	1-7-2017 से	1-7-2003 से 30-6-2016 तक	1-7-2017 से
ए	प्रथम	रू. 240	रू. 480	रू. 2,40,000	रू. 4,80,000
बी	द्वितीय	रू. 180	रू. 360	रू. 1,80,000	रू. 3,60,000
सी	तृतीय	रू. 150	रू. 300	रू. 1,50,000	रू. 3,00,000
डी	चतुर्थ	रू. 90	रू. 180	रू. 90,000	रू. 1,80,000

2. पूर्व के भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जायेगा।

3. दिनांक 1-7-2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़ी हुए दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य है, ऐसे

शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किये जाने के बाद सेवा में आते हैं वे भी अनिवार्य रूप से 1 जुलाई, 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात् सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्य भार संभालने की तारीख से 30 जून, 2017 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जायेगा।

4. राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य है।

[वित्त विभाग क्र. 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-05-2017]

8. बचत राशि पर ब्याज – कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा में नहीं रहने पर, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना में बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है।

ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित है :-

1-1-1987 से 31-12-2000 तक	—	12%
1-1-2001 से 31-12-2001 तक	—	11%
1-1-2002 से 31-12-2002 तक	—	9.5%
1-1-2003 से 31-12-2003 तक	—	9%
1-1-2004 से 30-11-2011 तक	—	8%
1-12-2011 से 31-12-2016 तक	—	8.6%

[वित्त विभाग क्र. 319/एल-5-1/12/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 22-6-2012]

1-1-2017 से 31-3-2017	—	8.0%

[वित्त विभाग क्र. 1757/00121/संसा/ब-4/चार/2016, दिनांक 22-2-2017]

1-7-2017 से 30-9-2017	—	7.8%

[वित्त विभाग क्र. 579/00121/संसा/ब-4/चार/2017, दिनांक 26-7-2017]

ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि संगणित होगी।

9. अंशदान की वसूली – (1) किसी सदस्य का अंशदान उस माह की 1 तारीख को सामान्य कार्य दिवस के प्रारंभ होने पर देय होगा।

(2) अंशदान सेवा में नियुक्ति की तारीख से और बाद में प्रत्येक माह की तारीख 1 को सामान्य कार्य दिवस के प्रारंभ होने पर देय होगा।

(3) अंशदान का संग्रह प्रतिमाह की जायेगी चाहे उस माह वह योजना का सदस्य नहीं रहा हो।

(4) इसमें प्रतिमाह अंशदान जमा करना अनिवार्य है। यदि सदस्य किसी माह अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो उस अवधि का अंशदान आगामी माह के वेतन से चालू माह के अंशदान के साथ ब्याज सहित वसूल कर लिया जायेगा।

10. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति पर - यदि किसी कर्मचारी की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति होती है तो अंशदान की दर आगामी वर्षगांठ में बढ़ा दी जाएगी तथा जिसकी सूचना फार्म GIS-3 पर दी जावेगी।

11. लेखा संधारण - कार्यालय प्रमुख को फार्म GIS-9 का रजिस्टर रखना चाहिए। कटौती राशि की प्रविष्टि सामान्य भविष्य निधि के पास बुक में की जानी चाहिए।

12. योजना से लाभ - शासन की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में बीमा का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जमा राशि भी ब्याज सहित वापस प्राप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त कर्मचारी परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 का भी सदस्य रहा हो तो दिनांक 30-6-85 तक उक्त योजना में जमा राशि शासकीय अंशदान तथा 1-7-85 से ब्याज गणना कर वापस की जावेगी।

"छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 2003"

यह योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू हैं। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरान्त शासन के उक्त दरों में दिनांक 1 जुलाई, 2003 से 50% वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रुपये 30 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 1 जुलाई, 2003 (जून 2003 का वेतन जुलाई 2003 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है :-

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रु. 240	रु. 2,40,000
बी	द्वितीय	रु. 180	रु. 1,80,000
सी	तृतीय	रु. 150	रु. 1,50,000
डी	चतुर्थ	रु. 90	रु. 90,000

2. पूर्व की भाँति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30% भाग बीमा निधि और शेष 70% भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके

(3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(4) असाधारण अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।

(5) उस व्यक्ति के मामले में जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) लागू है, अर्जित अवकाश को छोड़कर, अवकाश अवधि में देय अवकाश वेतन में से उक्त अधिनियम के अंतर्गत तत्स्थानी अवधि के लिये स्वीकार्य लाभ की राशि कम कर दी जायेगी।

(6) (क) शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, के प्रकरण में, यदि, पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश से अधिक होता है, तो अवकाश वेतन का आवश्यक समायोजन किया जायेगा, यदि कोई अधिक आहरण हो।

(ख) जहाँ शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये अवकाश की मात्रा, नियम 26 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन जमा हुये अवकाश से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।

(7) शासकीय सेवक जिसे पुनर्नियोजन अवधि के दौरान अर्जित किया गया अवकाश स्वीकृत किया गया है, ऐसे अवकाश अवधि के लिये इस नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन का पात्र होगा, जिसमें से पेंशन एवं के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ की राशि को घटाया जायेगा।

37. अवकाश वेतन का आहरण — इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन का आहरण भारत में रुपये में किया जायेगा।

अध्याय - पांच — अध्ययन अवकाश से अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवकाश

38. प्रसूति अवकाश — [1][(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्‌वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसके अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।]

(2) ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा।

(3) प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

---

1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25-05-2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतम पैंतालीस दिन की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

38-क. पितृत्व अवकाश — (1) किसी पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(3) पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(4) यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।

टीप — इस अवकाश को सामान्यत: अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

38-ख. दत्तक ग्रहण अवकाश — (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी।

(2) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(3) दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिये गये बच्चे की उम्र को कम करते हुए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा।

[1][**38-ग. संतान पालन अवकाश**—(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि की संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

---

1. वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4-10-2018 द्वारा जोड़ा गया।

राय में वह निर्योग्यता अपवादिक प्रकृति की होनी चाहिए; तथा

(तीन) यह कि, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि अंशतः इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा, आच्छादित हो, तथा अंशतः अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष निर्योग्यता अवकाश की मात्रा 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

40-क. विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति — नियम 39 एवं 40 के अधीन विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

41. विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश मंजूर करने की शक्ति — (1) विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग, अवकाश स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को पदांकित कर सकता है तथा वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि ऐसे प्राधिकारी कितनी सीमा तक एवं किन शर्तों के अधीन अवकाश स्वीकृति कर सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) में उल्लेखित के अलावा, अवकाश के सभी मामले, प्रशासकीय विभाग को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

अध्याय - छः — अध्ययन अवकाश

42. अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें — (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसकी उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) अध्ययन अवकाश निम्न हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है —

(एक) ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा को लोकहित की दृष्टि से शासन के लिये निश्चित लाभ का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल न भी हुआ हो; और

(दो) लोक प्रशासन के स्वरूप या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनों के लिए निम्न शर्तों के अधीन कि —

(क) विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन-यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ; और

(ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अपनी वापसी

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0)
हेतु
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र / वर्ष ....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम ....

पदनाम .... विषय ....

कर्मचारी कोड नं. ....

महाविद्यालय ....

(भाग–क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता / माता का नाम :
3. विभाग :
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
   i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक ....
   ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक ....
   iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक ....
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :

   फोन नं. :

   ई मेल :
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री / शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
11. अकादमिक स्टाफ कॉलेज नवोन्मेषी / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसें वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम / ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

भाग–ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएएस) प्रोफार्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख लें)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) व्याख्यान, संगोष्ठियों, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें जहां आवश्यक हो)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आबंटित कक्षाओं की संख्या	ली गई कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकार्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं/प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

• व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

(ii) **पाठन/परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन**

क्र.स.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान/अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग,

विषय–वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक ....

न्युनतम अंको की आवश्यकता – 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपयां निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियॉं		

	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम 25 अंक)		

वर्ग II में न्यूनतम आवश्यक अंक – 15

वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ख) (i) आलेख / अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक है ?	API अंक

III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रू. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक

III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

III. (ड.) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण–अनुशिक्षण–मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय है ?	API अंक

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियॉ			
II	सह पाठ्येत्तर , विस्तार,			
	व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I-II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

भाग - ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा (जहॉं कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियॉं साथ नत्थी करें, जहॉं कहीं आवश्यक हो)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहॉं दी गई जानकारियॉं महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए है ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉंच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

भाग–घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष .... के स्व–मूल्यांकन पर टीप–

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हॉं तो किन–किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकॉक (A.P.I.)	

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

संयुक्त संचालक
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन
प्रकोष्ठ

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ0ग0)

कार्यालय, प्राचार्य शास. वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया
जिला– मुंगेली (छ.ग.)

पत्र क 493A/ क.आपरेटर / 2019 पथरिया ,दिनांक 04-1-19

प्रति,

श्री राजकुमार साहू
ग्राम –बरछा पो.लौदा
पथरिया जिला–मुंगेली(छ.ग.)

विषयः– जनभागीदारी मद से नियुक्ति बाबत्।

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी नियुक्ति कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर जनभागीदारी मद से जनवरी 2019 से प्रति माह निश्चित मानदेय राशि 8000.00(आठ हजार रूपये मात्र) के दर पर होगा, यह नियुक्ति अस्थायी है, जो किसी भी समय जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगी।

डॉ. आई.पी.गुप्ता
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति लोधी महावि.
पथरिया जिला–मुंगेली(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकी वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
पथरिया जिला–मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक 1143 / स्था0 / 2017 पथरिया,दिनांक 1/8/2017
04/10/2017

प्रति,

गालेश्वर प्रसाद यादव,
पिता श्री राजमोहन यादव
नगर पंचायत पथरिया
जिला – मुंगेली छ0ग0

विषय :– बुक लिफ्टर की नियुक्ति हेतु ।

–::000 ::–

उपरोक्त विषयांतर्गत आपकी नियुक्ति बुक लिफ्टर शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिये कलेक्टर दर पर की जाती है। नियुक्ति की अवधि बढायी जा सकता है। यह नियुक्ति अस्थाई है जो किसी भी समय बुक लिफ्टर, समिति द्वारा समाप्त की सकती है। कार्यभर के समय अपना समस्त अभिलेख की मूलप्रति एवं वचन पत्र जमा करें।

आप दिनांक 20.07.2017 तक अपना कार्यभार ग्रहण करें।

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
वीरांगना अवंती बाई लोधी
शास.महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृ क / स्था0 / 2017 पथरिया,दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

01 लेखा / स्था0 शास.वी. अ.बा.लो. महाविद्यालय पथरिया जिला–मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ.आई.पी.गुप्ता)
प्राचार्य
वीरांगना अवंती बाई लोधी
शास.महाविद्यालय पथरिया
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

Date ______
Page ______

ग्रीष्म अवकाश शिविर

अवकाश रजिस्टर

आदेश

दिपावली अवकाश
12.11.2020 से 15.11.2020

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संभा. रायपुर के आदेश क्रमांक 861/150/आउशि/स्था/2020 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार दिपावली अवकाश दिनांक 12.11.2020 से 15.11.2020 तक कुल 04 दिवस घोषित किया गया है।

क्रं.	अधि./कर्म. का नाम	mob NO	अवकाश में निवास का पता	अवकाश पूर्व हस्ता.	अवकाश से आने पर हस्ता.
1	डॉ. जी.एस. ध्रुव सहा. प्राध्या.	9406114476	बिलासपुर	[signature] 11.11.2020	[signature] 17.11.2020
2	डॉ. यू.एस. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या.	9425223384	शुभम विहार बिलासपुर	[signature] 11.11.2020	[signature]
3	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्या.	9424152566	शुभम विहार बिलासपुर	[signature] 11.11.20	[signature] 17/11/20
4	डॉ. (श्रीमती) के.के. श्रीवास्तव (सहा.प्रा.)	9981157525	शुभम विहार, बिलासपुर	[signature] 11-11-2020	[signature] 17-11-20.
5.	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्राध्या.	9826776692	तालापारा बिलासपुर	Satya 11.11.20	Satya 17.11.20
6	प्रो. डी.के. पाण्डेय सहा. प्राध्या.	7000377501	सरगांव, मुंगेली	[signature] 11.11.20	[signature]
7	श्री डी.के. देवांगन प्रयो. तकनी.	9300527716	अशोक विहार फेस II BSP	[signature]	[signature]

[signature] 11.11.2020
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

आदेश (शीतकालीन अवकाश)

अवर सचिव उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक F 17/38/2018/38-2 रायपुर दिनांक 10.11.2020 के अनुसार शीतकालीन अवकाश दिनांक 24.12.2020 से 28.12.2020 तक कुल 05 दिवस अवकाश घोषित किया गया है।

क्र.	अधि./कर्मचारी का नाम	Mob No.	अवकाश में निवास का पता	अवकाश पूर्व हस्ता.	अवकाश के बाद हस्ता.
1	डॉ. जी.एस. ध्रुव सहा. प्रा.	9406114476	वसुन्धरानगर [illegible]	[signature] 23.12.20	[signature] 28/12/2020
2	डॉ. यू.एस. श्रीवास्तव सहा. प्रा.				
3	डॉ. अखिल कुमार सह. प्रा.	9424152560	शुभम विहार	[signature] 23/12/20	[signature] 28/12/20
4	डॉ. श्रीमती के.जे. श्रीवास्तव सहा. प्रा.				
5	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्रा.	9826776692	तालापारा, बिलासपुर	Satya 23.12.20	Satya 28.12.20
6	प्रो. डी.के. पाण्डेय सहा. प्रा.	7000317501	सरगांव	[signature] 23-12-2020	[signature] 28-12-2020
7	श्री डी.के. देवांगन प्रयो. तकनी.	9300527176	अशोक विहार फेस II	[signature]	[signature]

[signature] 23.12.2020
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंतिबाई लोधी महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

आदेश

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 1722/213/आउशि/सम/2021 दिनांक 26-7-21 के अनुसार दशहरा अवकाश दिनांक 15.10.21 से 16.10.21 तक कुल 02 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

क्र.	अधि/कर्म का नाम	mob. No	अवकाश में निवास का पता	अवकाश पूर्व हस्ता.	अवकाश बाद हस्ता.
(1)	डॉ. जी. एस. धुर्वे सहा. प्राध्या.	9406114476		[signature] 13.10.21	
(2)	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या.	9425223384	शुभम विहार बिलासपुर	[signature]	[signature]
(3)	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्या.	9424152560		[signature]	[signature] 18-10-21
(4)	डॉ. श्रीमती के. जे. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या.				[signature] 18-10-21
(5)	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्राध्या.	9826776692	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	[signature] 13.10.21	[signature] 18.10.21
(6)	श्री डी. के. पाण्डेय सहा. प्राध्या.	7000397501	धरसींवा, रायपुर	[signature] 13.10.21	[signature] 18.10.21
(7)	श्री डी. के. देवांगन प्रो. तकनीकी	9300527176	अशोक विहार फेस-2 बिलासपुर	[signature]	[signature]

[signature] 13.10.21
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Date ______
Page ______

आदेश
(दिपावली अवकाश)

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर के आदेश क्र. 1722/273/आउशि/स्था/2021 दिनांक 28.7.21 के अनुसार दिपावली अवकाश दिनांक 03.11 से 06.11.21 तक कुल 04 दिवस का अवकाश घोषित किया गया है।

क्र.	अधि/कर्म. का नाम	Mob. No.	अवकाश मे निवास का पता	अवकाश पूर्व हस्ता.	अवकाश बाद हस्ताक्षर
1)	डॉ. जी.एस. धुर्वे सहा. प्राध्या.	9406114476	बिलासपुर	[signature]	
2)	डॉ. कु. एस. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या.	9425223384	कुसुम विहार बिलासपुर	[signature] 02.11.21	[signature] 08/11/2021
3)	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्या.	9424152560	कुसुम विहार बिलासपुर	[signature] 2.11.21	
4)	डॉ. श्रीमती के.जे. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या.	9981157525	कुसुम विहार बिलासपुर	02.11.21	08/11/21
5)	कु. सत्या धुर्वे सहा. प्राध्या.	9826776692	तालापारा बिलासपुर	[signature] 2.11.21	
6)	श्री. डी.के. पाण्डेय सहा. प्राध्या.	7000397501	घर भाठा रायपुर छ.ग.	[signature] 02.11.21	[signature] 08/11/2021
7)	श्री. डी.के. देवांगन प्रयो. तकनीशियन	9300527776	अशोक विहार फेस II ब.स्प.	[signature]	[signature] 8.11.21

[signature] 02.11.21
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Date
Page

आदेश
(शीत कालीन)

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर के आदेश क्र. 1724/213/आ.उ.शि/क्रमा/2021 दिनांक 26.7.21 के आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश दिनांक 23.12.2021 से 25.12.2021 तक कुल 03 दिवस का अवकाश घोषित किया गया है।

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	Mob. No.	अवकाश में निवास का पता	अवकाश पूर्व हस्ताक्षर	अवकाश बाद हस्ताक्षर
(1)	डॉ. जी.एस. चुर्वे सहा. प्रा.	9406114476	बिलासपुर	[signature] 22.12.21	[signature] 27.12.21
(2)	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव सहा. प्रा.	9425223384	कुसुम विहार बिलासपुर	[signature] 22.12.2021	[signature] 27.12.2021
(3)	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्रा.	9424415460	बिलासपुर	[signature] 22.12.21	[signature] 27.12.21
(4)	डॉ. श्रीमती के.के. श्रीवास्तव सहा.प्रा.	9981157525	बिलासपुर	[signature] 22-12-21	[signature] 27-12-21
(5)	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्रा.	9826776692	तालापारा, बिलासपुर	Satya 22.12.21	Satya 27.12.21
(6)	श्री डी.के. पाण्डेय सहा. प्रा.	7000397501	सरगांव, मुंगेली	[signature] 22.12.21	[signature] 27.12.2021
(7)	श्री डी.के. देवांगन प्रयो. तकनी.	9300527116	अशोक विहार फेस II बिलासपुर	[signature] 22.12.21	[signature] 27.12.21

[signature] 22-12-21
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

ग्रीष्मकालीन अवकाश
(16.06.2022 से 30.06.2022)

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/1472/193/आउशि/सम./2021, नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/07/2021 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार दिनांक 16.06.2022 से 30.06.2022 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिवसों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अतः समस्त सहायक प्राध्यापकों एवं प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रीष्मकालीन अवकाश में जाने के पूर्व एवं अवकाश समाप्ति पश्चात् सदिनांक हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी नाम एवं पदनाम	पूर्ण पता मोबाइल नं. सहित	हस्ताक्षर अवकाश प्रस्थान पूर्व	हस्ताक्षर अवकाश समाप्ति पश्चात्
01	02	03	04	05
01.	डॉ. जी.एस. धुर्वे, सहा. प्राध्या. राजनीति शास्त्र	वसुन्धरा नगर बिलासपुर 9406114476	15.6.22	01.07.22
02.	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव, स.प्रा. - समाजशास्त्र	छोटी खंजरपुर भागलपुर बिहार Mob. 9425223384	15.6.2022	01/07/22
03.	डॉ. के. जे. श्रीवास्तव, स.प्रा. - हिन्दी	छोटी खंजरपुर, भागलपुर बिहार Mob. - 9981157525	15.6.2022	01-07-22
04	डॉ. अनिल कुमार, सहा. प्राध्या. समाज शास्त्र	खुशरामपुर उगलास अलीगढ़ उ०प्र०	15.6.22	01.07
05	सौ. कु. सत्या कुर्रे, सहा. प्राध्यापक प्राणि	तालापारा बिलासपुर (छ०ग०) 9826776692	Satya 15.6.22	Satya 1.7.22
06	प्रो. डी. के. पाण्डेय, सहा० प्राध्यापक - समाजशास्त्र	धरसीवा, जिला-रायपुर छ०ग० - 7000397501	15.06.22	01.07.22
07	कु० स्वाति सिंह ठाकुर, सहा० प्राध्यापक - अर्थशास्त्र	ग्रा-मोहतराई (रतनपुर रोड), बिलासपुर (छ०ग०) 7415245245,	15.06.2022	01.07.2022
08	श्री पंकज कुमार, सहा० प्राध्यापक - भूगोल	ग्रा.- लाटा पो.- आमाडांड तहसील - पेण्ड्रा, जिला - गौ.पे.मरवाही (छ.ग.)	Pankaj 15.06.2022	Pankaj 01.07.22
09	श्रीमती वंदना शर्मा, सहा० प्राध्यापक - वनस्पति विज्ञान	वार्ड नं. - 03, न.प. - तुमगांव तह + जिला - महासमुन्द (छ.ग.) पिन - 493445 Mo - 7999311239	VSharma 15.06.22	VSharma 01.07.22
10	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहा० प्राध्यापक - प्राणी शास्त्र	60 एल. आर. सारथी न्यू लाइफ हार्ट केयर अस्पताल के पास शांति नगर	15.06.22	01.07.2022
11.	श्री रामरति निषाद, सहा० प्राध्यापक प्राणी शास्त्र	ग्राम पर्रसिमां, थाना पथरिया मुंगेली	RS 15.06.22	

01	02	03	04	05
12.	श्री मानव प्रासरबाल सहा. प्राध्यापक वाणि.	ग्राम+पोस्ट - निनवा विकास-मरवाही मिला-गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	[signature] 15/06/22	[signature] 1.07.22
13.	श्री डी.के. देवांगन लैब तकनीशियन	अशोक विहार फेस II बिलासपुर मो.9300527176	[signature] 15.6.22	[signature] 1.7.22

[signature] 1.07.22
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

दशहरा अवकाश

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/1723/शउ/आउशि/सम./2021, नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/07/2021 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार दिनांक 03/10/2022 से 05/10/2022 तक कुल तीन दिवसों का दशहरा अवकाश घोषित किया है।
अतः समस्त सहायक प्राध्यापकों एवं प्रयोगशाला तकनीशियन भी दशहरा अवकाश में जाने के पूर्व एवं अवकाश समाप्ति पश्चात सदिनांक हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

[signature]
प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी नाम एवं पदनाम	पूर्ण पता मोबाईल नं. सहित	हस्ताक्षर अवकाश प्रस्थान पूर्व	अवकाश समाप्ति पश्चात
01.	02	03	04	05
01.	डॉ. पी. एस. धुर्वे सहा. प्राध्या. राजनीति शास्त्र	वसुन्धरा नगर रिंग रोड 02 गौरवपथ बिलासपुर Mob. 9406114476	[signature] 01.10.2022	[signature] 06.10.22
02.	डॉ. ए. एस. श्रीगत्ता सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र	वार्ड- 14, शुभम विहार बिलासपुर मो. 94252-23384	[signature] 01.10.2022	[signature] 06.10.2022
03.	डॉ. के. के. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या. हिन्दी साहित्य	शुभम विहार बिलासपुर 9981157525	[signature] 01-10-22	[signature] 06-10-22

01	02	03	04	05
04.	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र	लाकजी रेसीडेन्सी कुसुम विहार बिलासपुर 9424152560	[signature] 01-10-22	[signature] 6/10/22
05.	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्राध्या. गणित	तालापारा बिलासपुर 9826776692	[signature] 1.10.22	[signature] 6.10.22
06.	श्री डी. के. पाण्डेय सहा. प्राध्या. रसायन शास्त्र	सरगांव जिला मुंगेली 7000347560)	[signature] 01-10-22	[signature] 06-11-22
07.	कु. स्वाति सिंह ठाकुर सहा. प्राध्या. अर्थशास्त्र	मोहतराई (रतनपुर) बिलासपुर.	[signature] 01/10/2022	[signature] 06.09.2022
08.	श्री पंकज कुमार सहा. प्राध्या. भूगोल	पथरिया	Pandey 01.10.22	Pandey 06.09.22
09.	श्रीमती वंदना शर्मा सहा. प्राध्या. वनस्पति विज्ञान	रायपुर, DD Nagar 7999311239	VSharma 01.10.22	Nsharma 06.10.22
10.	श्री धीरेन्द्र सिंह सहा. प्राध्या. प्राणीशास्त्र	शांति नगर बिलासपुर 9713335530	[signature] 01-10-22	[signature] 6-10-22
11.	श्री रामरति निषाद सहा. प्राध्या. प्राणीशास्त्र	पथरिया	[signature] 1.10.22	[signature] 6.10.22
12.	श्री मानव जायसवाल सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	बिलासपुर 9713165560	[signature]	—
13.	श्री डी. के. टेंगवाल लैब टेक्नीशियन	अशोक विहार फेस II 9300527176	[signature] 01.10.22	[signature] 6.10.22

[signature] 6.10.22

प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

दिपावली अवकाश

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/1722/213/आउशि/सम./2021, नया रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु जारी आकादमिक कैलेण्डर के अनुसार दिनांक 24/10/2022 से 26/10/2022 तक कुल तीन दिवसों का दिपावली अवकाश घोषित किया है।

अतः समस्त सहायक प्राध्यापकों एवं प्रयोगशाला तकनीशियन दिपावली अवकाश में जाने के पूर्व एवं अवकाश समाप्ति पश्चात् सदिनांक हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

[signature]

प्राचार्य
शास.वीरांगना अंवति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी नाम एवं पदनाम	पूर्ण पता मोबाईल नं. सहित	हस्ताक्षर अवकाश प्रस्थान पूर्व	अवकाश समाप्ति पश्चात
01.	02	03	04	05
01.	डॉ. पी. एस. कुर्रे सहा. प्राध्यापक राज. शास्त्र	वसुन्धरानगर बिलासपुर 9406115476	[signature] 22.10.22	[signature] 27.10.22
02.	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव सहा. प्राध्या. समाज. शास्त्र	वार्ड नं. 14, मिनीमाता नगर, शुभम विहार बिलासपुर 94252-23384	[signature] 22.10.2022	[signature] 27.10.2022
03.	डॉ. के. पी. श्रीवास्तव हिन्दी सहा. प्राध्या. हिन्दी साहित्य	वार्ड-14, मिनीमातानगर शुभम विहार बिलासपुर 9981575725	[signature] 22-10-22	[signature] 27-10-22
04.	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्या. समाज. शास्त्र	वार्ड 14 मिनीमाता नगर (शुभमविहार) बिलासपुर 9424152560	[signature] 22/10/22	[signature] 27/10/22
05.	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्राध्या. वाणिज्य	तालापारा बिलासपुर 9826776692	Satya 22.10.22	Satya 27.10.22
06.	श्री. डी. के. पाण्डेय सहा. प्राध्या. रसायन शास्त्र	सरगांव 7000397750	[signature] 22.10.22	[signature] 27.10.22
07.	कु. स्वाति सिंह ठाकुर सहा. प्राध्या. अर्थशास्त्र	मोहदाई (रतनपुर) 8815186400	[signature] 22.10.22	[signature] 27.10.22
08.	श्री पंकज कुमार सहा. प्राध्या. भूगोल	लाटा, पेण्ड्रा (छ.ग.) 7974554495	[signature] 22.10.22	[signature] 27.10.22
09.	श्रीमती वंदना शर्मा सहा. प्राध्या. वनस्पति विज्ञान	बिहार जिला. रोहतास ग्राम - डालमियानगर	vsharma 22.10.22	[signature]

01	02	03	04	05
10.	श्री धीरेन्द्र सिंह सहा. प्राध्या. प्राणी शास्त्र	शांति नगर बिलासपुर 9713335530	22-10-22	27-10-22
11.	श्री रामरति निषाद सहा. प्राध्या. प्राणी शास्त्र	ग्राम परसिया पथरिया 8982354115	22.10.22	27.10.22
12.	श्री मानव जायसवाल सहा. प्राध्या. वाणिज्य	डिंडौरी, बिलासपुर 9713165560	22/10/22	27/10/22
13.	श्री. डी. के. देवांगन लैब तकनीशियन	अशोक विहार ...	22.10.22	27.10.22

प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

शीत कालीन अवकाश

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/1722/213/आउशि/सम./2022 के द्वारा शैक्षणिक सत्र - 2022-23 हेतु जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार दिनांक 24/12/2022 से 26/12/2022 तक कुल तीन दिवसों का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है।
अतः समस्त सहायक प्राध्यापकों एवं प्रयोगशाला तकनीशियन शीतकालीन अवकाश में जाने के पूर्व एवं अवकाश समाप्ति पश्चात् सहित हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य
शास. वीरांगना अवंति बाई लोधी
महाविद्यालय पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी नाम एवं पदनाम	पूर्ण पता मोबाईल न. सहित	हस्ताक्षर अवकाश प्रस्थान पूर्व	अवकाश समाप्ति पश्चात
01.	02	03	04	05
01.	डॉ. पी. एस. धुर्वे सहा. प्राध्यापक राज. विज्ञान	वार्ड नं. 19 कस्तूरबा नगर वार्ड वसुन्धरा नगर (बिलासपुर) मो. 9406114436	23/12/22	27.12.22
02.	डॉ. यू. एस. श्रीवास्तव सहा. प्राध्यापक समाज शास्त्र	वार्ड 14 मिनीमाता नगर शुभम विहार बिलासपुर 9425223384	23.12.2022	27.12.2022
03.	डॉ. के. पी. श्रीवास्तव सहा. प्राध्यापक हिन्दी साहित्य	वार्ड-14 मिनीमाता नगर शुभम विहार बिलासपुर	23-12-22	27-12-22

01	02	03	04	05
04.	डॉ. अनिल कुमार सहा. प्राध्यापक (समाज शास्त्र)	B-5 प्रियदर्शनी विहार बिलासपुर	[signature] 23/12/22	[signature] 27/12/22
05.	कु. सत्या कुर्रे सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य)	तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.) 9826776692	Satya 23.12.22	Satya 27.12.22
06.	श्री. डी. के पाण्डेय सहा. प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)	परसोदा जिला - रायपुर 7000597780	[signature] 23-12-22	[signature] 27-12-22
07.	कु. स्वाति सिंह सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)	ग्राम-मोहलाई (रतनपुर रोड) 8815786400	[signature] 23/12/22	[signature]
08.	श्री पंकज कुमार सहा. प्राध्यापक (भूगोल)	ग्राम-लाटा, पेण्ड्रा 7974545495	[signature] 23/12/22	[signature] 27.12.22
09.	श्रीमती वंदना शर्मा सहा. प्राध्यापक (वनस्पति विज्ञान)	ग्रा.पो. - तुम्गांव (महासमुंद) 7999311239	Vsharma 23.12.22	Vsharma 27.12.2022
10.	श्री धीरेन्द्र सिंह सहा. प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)	New Nu life heart care hospital Shanti Nagar bilaspur.	[signature] 23/12/22	[signature] 27/12/2022
11.	श्री मानव धारासवार सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य)	B-47, Nature city Uslapur, Bilaspur 9713165560	[signature] 23/12/22	[signature] 27/12/22
12.	श्री. डी. के. देवांगन (लैब तकनीशियन)	अशोक विहार फेस II बिलासपुर 9300521176	[signature] 23/12/22	[signature] 27.12.22

[signature] 27.12.22

प्राचार्य
शासकीय अवंति बाई लोधी
शासकीय महाविद्यालय स्नातक
[stamp]